171

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रुप–3)

क्रमांक: एफ.4(4)ग्रावि / नरेगा / सा.अं. / 2009–10 / जयपुर, दिनांक:

जिला कलक्टर एवं
जिला कार्यक्रम समन्वयक (नरेगा),
जैसलमेर

विषयः– ग्राम पंचायत नाचना, पचायत समिति जैसलमेर, जिला जैसलमेर के लेखों एवं कार्यो के माह दिसम्बर, 2009 में किए गए विशेष जांच प्रतिवेदन पर कार्रवाई कराने बाबत।

महोदय,

राज्य सरकार के आदेश एफ.4(4)ग्रावि / नरेगा / सा.अ. / 2009–10 दिनांक 18.12.2009 के द्वारा ग्राम पंचायत नाचना, पंचायत समिति जैसलमेर, जिला जैसलमेर द्वारा दिनांक 1.4.2008 से 30.11.2009 तक नरेगा योजना अन्तर्गत किए गए एवं करवाये जा रहे कार्यों एवं लेखों तथा व्यय की विस्तृत जांच हेतु विशेष जांच दल श्री श्रीनिवास मीना, मुख्य लेखाधिकारी, ई.जी.एस. के नेतृत्व में गठित किया गया था। इस जांच दल ने दिनांक 23.12.2009 से 28.12.2009 तक ग्राम पंचायत के अभिलेख एवं कार्यों का भौतिक सत्यापन करके जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस जांच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न की जा रही है।

उक्त जांच प्रतिदेदन में दर्शाई गई अनियमितताओं पर आपके स्तर पर निम्नानुसार कार्रवाई की जानी है:–

1. <u>राशि की वसूली एवं कानूनी कारंवाई</u>–

क्र. सं.	अनियमितता का संक्षिप्त विवरण	राशि रू.	प्रस्तावित कार्रवाई
1.	ग्राम पंचायत द्वारा करवाये गये 10 कार्यों में टेण्डर की शर्तों के अनुसार सामग्री यथा ग्रीट, पत्थर, ग्रेवल, पट्टियां, ईंट, बजरी आदि की दरें एफ.ओ.आर. कार्यस्थल हैं जबकि एम.बी. में मूल्यांकन परिवहन लीड जोडकर करते हुए फर्म से बिल प्राप्त कर भुगतान किये गये हैं। यह अनियमित एवं गलत भुगतान वसूली योग्य है। 1. 20 डिग्गी निर्माण (तुलछा राम) रू 22,834.65 2. 20 डिग्गी निर्माण (समधा) रू. 24,691.97 3. ग्रेवल सड़क अलीपुरा से पुजराजसिंहपुरा रू. 46,038.65 4. ग्रेवल सड़क 12 एस के डी से कबीरपुरा रू. 2,05,680	8,99,134 / –	प्रतिवेदन के अनुसार अधिक मूल्यांकन दर्शाकर राजकीय राशि का अनियमित एवं गलत भुगतान करने के लिए श्री महावीर सिंह, कनिष्ठ अभियंता, पंचायत समिति, जैसलमेर, श्रीमती चांदकवर, सरपंच, ग्राम पंचायत नाचना, श्री मनोहर सुथार, ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत नाचना उत्तरदायी हैं। इसके लिए निम्नांकित कार्रवाई की जानी प्रस्तावित है– 1. इस राशि की इन तीनों कर्मचारियों / राजसेवकों से बराबर अनुपात में वसूली की जानी चाहिए। इसके लिए जिला कलक्टर एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद पंचायती राज अधिनियम की धारा 111(2) के अनुसार वसूली सुनिश्चित कराके दिनांक 31.3.2010 तक पालना रिपोर्ट प्रेषित करे। 2. विशेष जांच रिपोर्ट के आधार पर इन तीनों के विरूद्ध पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज कराई जावे तथा जिला कलक्टर एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद इन रिपोर्ट्स के निर्णायक स्तर पर पहुंचने तक फॉलोअप करें।

172

	5. खालों की कच्ची शाखा कार्य रू. 4,52,852.95 6. खाला पट्टी कवरिंग कार्य रू. 71,605 7. फुलों की नाड़ी जीर्णोद्धार रू. 47,024.65 8. 20 टांका निर्माण (श्री गोरखाराम) रू. 9432.48 9. 20 टांका निर्माण (श्री मिश्री राम) रू. 9943.32 10. टांका निर्माण (श्री भगवाना राम) रू. 9030.06		3. कनिष्ठ अभियंता एवं ग्राम सेवक के विरूद्ध इनके संबंधित सेवा नियमों के अन्तर्गत वृहद् शास्ति (Major penalty) के लिए आरोप पत्र जारी किया जावे। श्रीमती चांदकंवर, सरपंच, नाचना को पंचायतीराज अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के अनुसार सरपंच पद के लिए अयोग्य घोषित कराये जाने की कार्रवाई की जावे।
2.	ग्राम पंचायत के चार कार्यों की जांच में – माप पुस्तिका(MB) में दर्ज सामग्री (सीमेंट बैग, ईटें आदि) के मूल्यांकन राशि से अधिक सामग्री क्रय कर रू. 1,23,619/– का गलत भुगतान किया गया। 1. 20 डिग्गी निर्माण (तुलछा राम) रू. 12,900.00 2. 20 डिग्गी निर्माण (समधा) रू 4,300.00 3. फुलों की नाड़ी जीर्णोद्धार (i) रू 1075.00 (ii) रू 1,04,544.00 4. टांका निर्माण (श्री भगवाना राम) रू. 800.00	1,23,619/–	प्रतिवेदन के अनुसार इस अनियमितता के लिए श्रीमती चांदकंवर, सरपंच, ग्राम पंचायत नाचना, श्री मनोहर सुथार, ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव उत्तरदायी हैं। राशि रू. 1,23,619/– सरपंच एवं ग्राम सेवक दोनों से बराबर अनुपात में वसूल की जावे।
3.	ग्राम पंचायत द्वारा करवाये गये दो कार्यों में मौके पर सीमेंट, कंकरीट की माप एम. बी. में दर्ज माप के अनुसार नहीं पाई जाकर कम माप पाई गई। इस प्रकार राशि रू. 50,598/– का गलत एमबी भरकर भुगतान किया गया है। 1. 20 डिग्गी निर्माण (तुलछा राम) (i) रू 13,799.64 (ii) रू .22,263.45 2. 20 डिग्गी निर्माण (समधा) रू 14,535.20	50,598/–	1.प्रतिवेदन के अनुसार इस अनियमितता के लिए श्री महावीर सिंह, कनिष्ठ अभियन्ता, श्रीमती चांदकंवर, सरपंच, ग्राम पंचायत नाचना, श्री मनोहर सुथार, ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव उत्तरदायी हैं। राशि रू. 50,598/– सरपंच एवं ग्राम सेवक एवं कनिष्ठ अभियंता तीनों से बराबर अनुपात में वसूल की जावे। 2. इस अनियमितता के लिए इन तीनो के विरूद्ध पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज कराई जावे। 3. कनिष्ठ अभियन्ता एवं ग्राम सेवक के विरूद्ध इनके संबंधित सेवा नियमों के अन्तर्गत वृहद् शास्ति (Major penalty) के लिए आरोप पत्र जारी किये जावें। श्रीमती चांदकंवर, सरपंच, नाचना को पंचायती राज अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के अनुसार सरपंच पद के लिए अयोग्य घोषित कराये जाने की कार्रवाई की जावे।
4.	गलत निर्माण कार्य एवं गलत स्थान चयन के कारण वसूली (बोरिंग रिपेयरिंग का कार्य सार्वजनिक स्थल पर	51,462/–	नियम विरूद्ध गलत स्थान पर कार्य करवाकर व्यय की गई राशि रू. 51,462/– की श्री मनोहर सुथार, ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत नाचना एवं श्रीमती चांदकंवर,

I:\Social Audit all file\SOCIAL AUDIT\SA

	नहीं किया जाकर सामान्य श्रेणी के व्यक्ति (सरपंच अथवा रिश्तेदार) के घर के बाहर किया गया) 1. फुलों की नाड़ी जीर्णोद्धार रू. 51,462		सरपंच ग्राम पंचायत नाचना से बराबर अनुपात मे वसूली की जावे एवं गलत कार्य के गबन हेतु ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जावे।
5.	दो कार्यों में माप पुस्तिका में निर्माण कार्यों के मूल्यांकन संबंधी अन्य अनियमितताएँ पाई गई– 1. Excavation of Gravel at Query आइटम अंतर्गत केवल 10 प्रतिशत लूज वोइड्स की राशि ही माप पुस्तिका में काटी गई है, जबकि जिले की नरेगा बी.एस.आर. अनुसार 1/6 (=16.66%) शून्य काटकर आपूर्ति की जानी चाहिए थी। 2. Spreading of Gravel आइटम 3. मौके पर रोड़ की लम्बाई एम.बी. की तुलना में 200 फुट कम पाई गई। 1. ग्रेवल सड़क अटीपुरा से पुजराजसिंहपुरा (i) रू 3282.60 (ii) रू 2133.69 2. ग्रेवल सड़क 12 एस के डी से कबीरपुरा (i) रू 7389.00 (ii) रू 4802.95 (iii) रू. 28,172.00	45,780/–	राशि रू. 45,780/– के अनियमित भुगतान के लिए श्रीमती चांदकंवर सरपंच, ग्राम पंचायत, नाचना श्री मनोहर सुथार, ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत, नाचना तथा श्री महावीर सिंह, कनिष्ठ अभियन्ता उत्तरदायी हैं एवं इन तीनों से उक्त राशि बराबर अनुपात में वसूल की जावे। कनिष्ठ अभियंता एवं ग्राम सेवक के विरूद्ध इनके संबंधित सेवा नियमों के अन्तर्गत वृहद् शास्ति (Major penalty) के लिए आरोप पत्र जारी किये जावें। श्रीमती चांदकंवर, सरपंच, नाचना को पंचायतीराज अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के अनुसार सरपंच पद के लिए अयोग्य घोषित कराये जाने की कार्रवाई की जावे।
6.	मृतक व्यक्तियों के नाम मस्टरोल में अंकित कर गलत भुगतान उठाना व गबन करना MR No. राशि 38181 1300 81901 1200 99107 1000 61958 1200	4700/–	1. श्री मनोहर सुथार, ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत नाचना एवं श्रीमती चांदकंवर, सरपंच, ग्राम पंचायत नाचना से बराबर अनुपात में वसूली की जावे। 2. इन दोनों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई हेतु पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज कराई जावे। 3. गलत मस्टर रोल भरकर भुगतान करने के लिए ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव के विरूद्ध इनके सेवा नियमों के अन्तर्गत वृहद् शास्ति (Major penalty) के लिए आरोप पत्र जारी किया जावे। अनुशासनात्मक कार्रवाई की जावे। श्रीमती चांदकंवर, सरपंच, नाचना को पंचायतीराज अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के अनुसार सरपंच पद के लिए अयोग्य घोषित कराये जाने की कार्रवाई की जावे।
7.	सरकारी कर्मचारी के नाम मस्टरोल में अंकित कर फर्जी भुगतान उठाकर राशि का गबन MR No. राशि 166317 1400 38184 1300 59582 1398 60524 1698	5496/–	1. श्री मनोहर सुथार, ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत नाचना एवं श्रीमती चांदकंवर, सरपंच, ग्राम पंचायत नाचना से बराबर अनुपात में वसूली की जावे। 2. इन दोनों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई हेतु पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज कराई जावे। 3. गलत मस्टर रोल भरकर भुगतान करने के लिए ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव के विरूद्ध इनके सेवा नियमों के अन्तर्गत वृहद् शास्ति (Major penalty) के लिए आरोप पत्र जारी किया जावे। अनुशासनात्मक कार्रवाई की

474

			जावे। श्रीमती चांदकंवर, सरपंच, नाचना को पंचायतीराज अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के अनुसार सरपंच पद के लिए अयोग्य घोषित कराये जाने की कार्रवाई की जावे।
	कुल वसूली योग्य राशि	11,80,790/-	

नोट– कुल राशि रू. 11,80,790/– वसूल की जानी है।

2. निर्माण सामग्री के सभी बिलों की राशि 1,62,66,710/– (अक्षरे रूपये एक करोड़ बासठ लाख छियासठ हजार सात सौ दस मात्र) का भुगतान नकद में किया गया है एवं नरेगा रोकड़ बही में सामान्य रोकड़ बही से राशि अन्तरित कर क्रय की सामग्री राशि रूपये 7,48,000/– का नकद भुगतान किया गया है जबकि पंचायती राज नियम 1996 के नियम–211 के अनुसार धन केवल चैकों के जरिए आहरित किया जायेगा। अन्य व्यक्तियों को रूपये 1000/– से अधिक राशि का प्रत्येक भुगतान Cheque के जरिए ही किया जायेगा। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 4(28)आर.डी./नरेगा/09–10 दिनांक 11.11.2009 द्वारा सेल्फ के चैक आहरित नहीं करने तथा रूपये 1000/– से अधिक की किसी भी राशि का भुगतान केवल अकाउन्ट पेई चैक से ही करने निर्देश जारी किये गये हैं। अतः पंचायती राज नियम एवं परिपत्र दिनांक 11.11.2009 की पालना सुनिश्चित करें, इसके साथ ही नियमों की अवहेलना करने के लिए उत्तरदायी कार्मिकों/लोक सेवक के विरूद्ध कार्रवाई की जावे।
3. अमानत राशि 3,74,862/– रोकड़ बही में दर्ज की गई है जबकि पंचायती राज नियमों में अमानत राशि प्राप्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। नियम विरूद्ध अमानत राशि लेकर रोकड़ बही में दर्ज करने के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाकर आवश्यक कार्रवाई की जावे।
4. जांच प्रतिवेदन के अनुसार तकनीकी स्वीकृतियां अस्पष्ट एवं अधूरी जारी की गई हैं। भविष्य में तकनीकी स्वीकृतियां पूर्ण एवं स्पष्ट रूप में जारी करने हेतु अधिशाषी अभियंता/सहायक अभियंता, नरेगा को आवश्यक निर्देश जारी करें।
5. ग्राम पंचायत द्वारा अपंजीकृत फर्मों से 163 लाख रूपये की सामग्री(पत्थर, बजरी, रोड़ी, आदि) का क्रय किया गया लेकिन इनके द्वारा नियमानुसार बिक्री कर की राशि जमा नहीं कराई गई। ग्राम पंचायत द्वारा 19.6.2007 से 30.11.2009 तक क्रय की गई निर्माण सामग्री के बिलों का विवरण वाणिज्यिक कर विभाग को भिजवाकर वेट (VAT) की वसूली की कार्रवाई करवायी जावे।
6. प्रतिवेदन में ग्राम पंचायत द्वारा परिसम्पत्ति रजिस्टर (Asset cum cumulative expenditure register) के संधारण करने के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गई है। इस संबंध में राज्य सरकार के निर्देश क्रमांक एफ.4(40)आरडी/ नरेगा/ट्रें/स्टेट/09–10 दिनांक 23.10.2009 द्वारा जारी किये गये है। अतः जिले की समस्त ग्राम पंचायतों में परिसम्पत्ति मय संचयी व्यय रजिस्टर (Asset cum cumulative expenditure register) का संधारण करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
7. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.4(42)/ग्रावि/नरेगा/ग्रुप–III/06–07 दिनांक 22.3.2007 के अनुसार नरेगा कार्यों का जिले के संबंधित अधिकारियों द्वारा मानदण्डों के अनुसार गहन निरीक्षण समय–समय पर किया जाना चाहिए। ग्राम पंचायत के अभिलेख की जांच के दौरान पाया गया कि जिला एवं पंचायत समिति के अधिकारियों द्वारा ना तो कार्यों का भौतिक सत्यापन किया गया और ना ही रोकड़ बही, स्टॉक रजिस्टर एवं परिसम्पत्ति रजिस्टर सहित पंचायत के किसी भी अभिलेख का निरीक्षण ही किया गया, जिसके कारण कार्यों के मौके एवं अभिलेख में अनियमितताएं किए जाने से संबंधित कार्मिकों को प्रोत्साहन मिला है और नरेगा कार्यों का इच्छित पूर्ण लाभ गरीबों को नहीं मिल पाया है। निर्धारित मानदण्डानुसार जिले की सभी ग्राम पंचायतों द्वारा क्रियान्वित कार्यों एवं अभिलेख का निरीक्षण नहीं करने के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाकर नियमानुसार कार्रवाई करावें तथा भविष्य में ग्राम पंचायतों के कार्यों एवं अभिलेखों का समय–समय पर निरीक्षण को प्रभावी बनाये जाने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें।
8. उक्त अनियमितताओं के मद्देनजर जिला एवं पंचायत समिति के स्तर से अधिकारियों द्वारा कार्यों एवं अभिलेख के निरीक्षण को प्रभावी बनाये जाने के संबंध में पूर्व दिशा–निर्देशो की निरन्तरता में प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग द्वारा समस्त जिला कलक्टर्स को पुनः पत्रांक एफ.4 (29)

आरडी/नरेगा/पार्ट–II/निरीक्षण दिनांक 29.12.2009 से आदेश जारी किये हैं, उनकी अनुपालना सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसके लिए यह व्यवस्था की जावे कि जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, नरेगा प्रतिमाह 10 तारीख तक पिछले माह में जिला एवं पंचायत समिति के अधिकारियों द्वारा किये गये कार्यों के निरीक्षण अधिकारी वार विवरण प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को अ.शा. पत्र के माध्यम से प्रेषित करें। इस कार्य की सतत् मोनिटरिंग की जानी आवश्यक है।

9. उक्त बिन्दुओं के नदेनजर योजना के कियान्वयन में सुधार किया जाना आवश्यक है। आपके स्तर पर यह सुनिश्चित किया जावे कि जिले की किसी भी ग्राम पंचायत में उक्त अनियमितताओं एवं प्रतिवेदन में उल्लेखित अन्य अनियमितताओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। प्रतिवेदन की बिन्दुवार अनुपालना/क्रियान्वयन रिपोर्ट प्रेषित करें।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्रवाई कराकर एक माह की अवधि में बिन्दुवार प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करें।

भवदीय,

संलग्नः उपरोक्तानुसार

18.1.10

(तन्मय कुमार)
आयुक्त एवं शासन सचिव
(ई.जी.एस.)

क्रमांकः एफ.4(4)ग्रावि/नरेगा/सा.अं./2009–10/391-94 दिनांकः 20.1.10

प्रतिलिपि

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, नरेगा जिला परिषद जैसलमेर को आवश्यक कार्रवाई हेतु।

19.1.2010

निदेशक
सामाजिक अंकेक्षण

ग्राम पंचायत नाचना, पंचायत समिति जैसलमेर, जिला जैसलमेर द्वारा दिनांक 01.04.08 से 30.11.09 की अवधि में कराये गये निर्माण कार्यों का भौतिक सत्यापन एवं विशेष जांच प्रतिवेदन

प्रस्तावना

प्रमुख शासन सचिव, ग्रा. वि. एवं पं. राज विभाग के आदेश क्र. एफ 4(4)ग्रावि/ नरेगा/ सा.अ./2009–10 दिनांक 18.12.09 के द्वारा निम्न हस्ताक्षरकर्ता की अधीनता में सहायक लेखाधिकारी श्री प्रेमप्रकाश शर्मा, सहायक अभियंता, ईजीएस, श्री नितिन शर्मा को सम्मिलित करते हुए तीन अधिकारियों का जांच दल गठित किया गया।

इस जांच दल ने संदर्भित आदेशों के क्रम में नाचना ग्राम पंचात पहुंचकर दिनांक 23.12.09 से 28.12.09 की अवधि में ग्राम पंचायत के रिकार्ड की जांच–निर्माण कार्यों का भौतिक सत्यापन एवं व्यय राशि की जांच तथा ग्राम पंचायत नाचना के संबंध में राज्य सरकार को प्राप्त शिकायतों तथा जांच अवधि के दौरान ग्राम वासियों द्वारा दर्ज करवायी गई शिकायत के संबंध में सुना गया।

राज्य सरकार के निर्देशों के क्रम में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, पंचायत समिति जैसलमेर के विकास अधिकारी/ कार्यक्रम अधिकारी/ सहायक अभियंता, एक हिन्दी टंकक को सहयोग हेतु उपस्थित रहना था। दिनांक 23.12.09 से मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री जे.पी. पुरोहित, विकास अधिकारी श्री आर.सी. माथुर, कार्यक्रम अधिकारी श्री नखतदान, अधिशाषी अभियंता श्री प्रदीप कुमार तथा सहायक अभियंता एवं कनिष्ठ अभियंता उपस्थित रहे तथा 27.12.09 को कार्यक्रम अधिकारी श्री नखतदान तथा अधिशाषी अभियंता श्री प्रदीप कुमार को उपस्थित रहे।

कनिष्ठ अभियंता श्री महावीर सिंह तथा सहायक अभियंता श्री जे.पी. इंदोलिया पूरी जांच अवधि में जांच दल के सहयोग हेतु उपस्थित रहे।

भाग–अ
रिकार्ड संधारण

1. रोकड बही की जांच –

नरेगा योजना में नाचना ग्राम पंचायत को पंचायत समिति जैसलमेर द्वारा चैक द्वारा 19.06.07 से 08.10.09 तक श्रम मद में 17737033 रू., सामग्री मद में 15701920 रू. व अन्य में रू. 64750 उपलब्ध कराये गये हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की कैशबुक 23.12.09 तक लिखी हुई है। जिसमें कैश बेलेन्स नगद 38.00 रू. तथा पासबुक बैलेन्स 5,05,867 रू. है। ग्राम पंचायत नाचना की रोकड बही वर्ष 2008–09 एवं 01.04.09 से 30.11.09 की जांच करने पर निम्न कमियां पाई गई :–

1. ग्राम पंचायत नाचना द्वारा नरेगा कार्य हेतु सामान्य रोकड बही से नरेगा रोकड बही में निम्न प्रकार राशि का अन्तरित नगद राशि प्राप्त कर किया गया जो कि लेखा नियमों के विरूद्ध है :–

दिनांक	सामान्य रोकड बही पृष्ठ एवं दिनांक	नरेगा रोकड बही पृष्ठ एवं दिनांक	राशि
07.08.08	23 / 07.08.08	60 / 07.08.08	1,86,000
13.08.08	25 / 07.08.08	63 / 13.08.08	1,86,000
28.08.08	27 / 28.08.08	64 / 18.08.08	1,24,000
23.09.08	30 / 23.09.08	65 / 23.09.08	2,52,000
		योग	**7,48,000**

अन्य योजनाओं की राशि रू. 7,48,000 / – का उपयोग नरेगा योजना में मै. अरविन्द कुमार पुत्र श्री शिवनारायण चाण्डक को सामग्री क्रय का नगद भुगतान किया गया। इस प्रकार एक योजना की राशि का उपयोग दूसरी योजना में किया जाना गम्भीर अनियमितता है। जिससे संबंधित योजना का विकास कार्य रूक जाता है। अन्य योजना की राशि उपयोग से पूर्व किसी उच्चाधिकारी से स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है।

जांच के समय तक नरेगा योजना मे जिस योजना से राशि ली गई है, उस योजना में हस्तान्तरित नहीं की गई है। अतः इस राशि का हस्तान्तरण संबंधित योजना में किया जावे।

2. रोकड बही में वर्ष 08–09 एवं 01.04.09 से 30.11.09 तक रू. 3,74,862 / – अमानत राशि दर्शाई गयी है जो कि श्रीमती चांदकंवर सरपंच एवं श्री शिवनारायण चाण्डक से प्राप्त की गयी है, जबकि पंचायत राज नियमों में अमानत राशि प्राप्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। पंचायत में अमानत रजिस्टर का भी संधारण नहीं किया जाता है।
3. रोकड बही में रोकड लिखने वाले ग्राम सचिव के कहीं पर भी हस्ताक्षर नहीं किये हुए हैं। केवल मात्र सरपंच के द्वारा हस्ताक्षर किये गये हैं, जबकि रोकड पुस्तिका संधारण हेतु उत्तरदायी ग्राम सचिव के भी हस्ताक्षर अनिवार्य हैं।
4. प्राप्ति कॉलम में चैक से नकद आहरण किया गया है। जिसमें चैक नं. एवं आहरण का विवरण नहीं दर्शाया गया है।

2. **<u>भण्डार पंजिका</u>** – भण्डार पंजिका का संधारण तो किया जा रहा है, लेकिन संधारण निर्माण कार्यों के अनुसार किया जा रहा है, जिसमें वाउचर की सामग्री का इन्द्राज एक साथ किया जाता है, जबकि स्टॉक रजिस्टर का संधारण नियमानुसार अलग–अलग आइटमवार किया जाना चाहिए। बिल के अनुसार एक साथ सामग्री प्राप्त कर एक साथ ही जारी करना पाया गया है, जो अनियमित है।

3. जॉब कार्ड का रिकार्ड संधारण –

1. रोजगार पंजीयन प्रार्थना पत्र इन्द्राज रजिस्टर का संधारण किया जा रहा है। रोजगार पंजीयन रजिस्टर के अनुसार कुल 2132 परिवारों द्वारा रोजगार हेतु पंजीयन करवाया गया है। रोजगार पंजीयन रजिस्टर के महत्वपूर्ण कॉलम यथा पंजीकरण आवेदन की दिनांक जॉब कार्ड जारी करने की दिनांक, पंजीकरण कर्ता के नाम पंजीकरणकर्ता के हस्ताक्षर वाले अधिकांश कॉलम पूर्ण रूप से खाली हैं अथवा अस्पष्ट हस्ताक्षरों वाली प्रविष्टियां अंकित की गई हैं।

2. जॉब कार्ड रजिस्टर प्रपत्र–5 में संधारित किया तो जा रहा है, लेकिन इस रजिस्टर के अधिकांश कॉलम यथा परिवार के मुखिया के हस्ताक्षर/ अंगूठा निशानी, तारीख, ग्राम पंचायत के सचिव के हस्ताक्षर तथा जॉब कार्ड धारियों के रजिस्टर में फोटो नहीं लगी पायी गई। इस प्रकार जॉबकार्ड रजिस्टर की प्रविष्टियों की पूर्ति किये बिना जॉबकार्ड जारी किये गये हैं तथा उन जॉब कार्डों पर भुगतान हो रहे हैं। जारी किये अधिकांश जॉबकार्डस् पर भी परिवार के मुखिया एवं अन्य सदस्यों के फोटो नहीं लगाये गये है।

   रोजगार पंजीयन प्रार्थना–पत्र रजिस्टर तथा जॉबकार्ड रजिस्टर की अपूर्ण संधारण को जॉबकार्डस् के दुरूपयोग की पूर्ण सम्भावना रहती है। यहां पर उल्लेख करना समीचीन होगा कि जांच अवधि के दौरान सुनी गई अधिकांश शिकायतें जॉबकार्ड के दुरूपयोग तथा भुगतान नहीं मिलने से संबंधित थी।

   रोजगार पंजीयन प्रार्थना–पत्र रजिस्टर तथा जॉबकार्ड रजिस्टर की सभी प्रविष्टियां पूर्ण करने तथा जॉबकार्डस् का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित कराने के मौके पर निर्देश दिये गये।

4. **नगद भुगतान** – ग्राम पंचायत नाचना में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, जैसलमेर कॉपरेटिव बैंक नाचना तथा पोस्ट ऑफिस की सुविधा होने के बावजूद श्रमिक तथा निर्माण कार्यों हेतु आपूर्ति की गई सामग्री की राशि का भुगतान नगद में किया जा रहा है। जैसलमेर कॉपरेटिव बैंक में 773 श्रमिकों के खाते खोलने की जानकारी दी गई। इन खाता धारक श्रमिकों को भी केवल कच्चे कार्यों का भुगतान बैंक के माध्यम करने तथा पक्के कार्यों के मस्टररोल का भुगतान नगद में किया गया है।

   निर्माण सामग्री के सभी बिलों की राशि 16266710 (अक्षरे रू. एक करोड बासठ लाख छियासठ हजार सात सौ दस मात्र) का भुगतान नगद में किया गया है। जो कि पंचायत राज अधिनियम 1994 तथा पंचायत राज नियम 1996 के प्रावधानों के प्रतिकूल है। श्रमिक तथा सामग्री के नगद भुगतान के लिए ग्राम सचिव तथा सरपंच व्यक्तिशः उत्तरदायी हैं।

5. **निर्माण सामग्री क्रय में गम्भीर अनियमितता** – ग्राम पंचायत नाचना द्वारा वर्ष 2008–09 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में निर्माण सामग्री आपूर्ति हेतु निविदा आमंत्रण आदेश क्र. जी.पी.एस/2008/31 दिनांक 12.3.08 जारी किया गया। जिसमें निम्नानुसार शर्ते रखी गई :–

1. सामग्री की दरों में ढुलाई, भराई एवं खाली कराई सम्मिलित होंगी।
2. सामग्री की दरें निर्माण स्थल तक पहुंचाने की देनी होंगी।
3. वाहन की बाडी माप का खुलासा देना होगा।
4. दी गई दरों में सभी प्रकार के कर सम्मिलित होंगे।

कार्यालय पंचायत समिति, जैसलमेर के पत्र क्र. प.स.जै./लेखा/08 दि. 19.3.08 के क्रम में निविदा का प्रकाशन पंचायत समिति की अधीनस्थ अन्य ग्राम पंचायतों के साथ प्रकाशन मरू लहर दिनांक 21.03.08 में करवाया गया है। पंचायत समिति, जैसलमेर द्वारा प्रकाशित निविदा सूचना के अनुसार निविदा फार्म रू. 100/– में बेचा जाना था तथा रू. 5000/– धरोहर राशि भी ली जानी थी।

ग्राम पंचायत की निविदा पत्रावली वर्ष 2008–09 की जांच करने पर जानकारी होती है कि न तो रू. 100/– में निविदा फार्म बेचा गया है तथा न ही रू. 5000/– धरोहर राशि प्राप्त की गई है तथा ग्राम पंचायत नाचना द्वारा औपचारिकतावश निम्नांकित तीन कॉटेशन प्राप्त किये गये– (**परिशिष्ट–अ**)

1. देवीसिंह पुत्र श्री उम्मेद सिंह सत्याया
2. मै. अरविन्द कुमार पुत्र श्री शिवनारायण चाण्डक नाचना
3. चतुर सिंह पुत्र श्री अमर सिंह राजपूत सत्याया

यहां पर उल्लेखनीय है कि उपरोक्त तीनों निविदादाता फर्में बिक्री कर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत पंजीकृत नहीं हैं। उक्त निविदाओं को सरपंच व ग्राम सेवक द्वारा दि. 10.04.08 को खोला गया। तीनों का तुलनात्मक विवरण तैयार किया गया। जिसमें मै. अरविन्द कुमार पुत्र श्री शिवनारायण चाण्डक नाचना की दर न्यूनतम होने के कारण ग्राम पंचायत नाचना द्वारा मै. अरविन्द कुमार पुत्र श्री शिवनारायण चाण्डक, नाचना को वर्ष 2008–09 के लिए निर्माण सामग्री सप्लाई आदेश स.–38 दि. 10.04.08 को दिये गये।

ग्राम पंचायत नाचना के निविदा आमंत्रण आदेश मै. अरविन्द कुमार पुत्र श्री शिवनारायण चाण्डक ग्राम पंचायत सरपंच श्रीमती चांदकंवर का पुत्र होने के कारण न तो निविदा प्रक्रिया में भाग ले सकता है और न ही ग्राम पंचायत द्वारा सरपंच पुत्र को निविदा स्वीकृत कर सामग्री क्रय की जा सकती है।

इस प्रकार नियम विरूद्ध सरपंच पुत्र की फर्म को वित्तीय वर्ष 2008–09 की सामग्री आपूर्ति का ठेका देने तथा निविदा में सामग्री की अस्पष्ट दरें स्वीकृत करने के लिए ग्राम सचिव श्री मनोहरलाल सुथार तथा ग्राम पंचायत की सरपंच श्रीमती चांदकंवर सीधे उत्तरदायी है तथा जानकारी होने के बावजूद इस पर कोई कार्यवाही नहीं करने के लिए पंचायत समिति के कार्यक्रम अधिकारी/ विकास अधिकारी पर्यवेक्षणीय उदासीनता के लिए उत्तरदायी हैं।

6. गैर पंजीकृत फर्मों से सामग्री क्रय के फलस्वरूप राजस्व हानि –

रोकड पुस्तिका के अनुसार ग्राम पंचायत नाचना ने अप्रेल, 07 से 30 नवम्बर, 09 तक की अवधि में कुल राशि रू. 16266710 की सामग्री क्रय की गयी तथा सामग्री का फर्मों को नगद भुगतान किया गया। जिसका विवरण निम्न प्रकार है–

I. मै. दुष्यन्त सिंह पुत्र श्री विक्रम सिंह नाचना –

A वर्ष 2007–08

भुगतान

क्र.सं.	भुगतान दिनांक	राशि
1.	26.07.07	35660
2.	26.07.07	35660
3.	21.08.07	106980
4.	21.08.07	25000
5.	20.09.07	100000
6.	25.09.07	97200
7.	25.09.07	177760
8.	11.10.07	230620
9.	19.11.07	65320
10.	27.12.07	753600
11.	27.12.07	57100
12.	31.12.07	36000
13.	07.01.08	120000

क्र.सं.	भुगतान दिनांक	राशि
14.	09.01.08	505000
15.	16.01.08	110000
16.	23.01.08	456000
17.	30.01.08	256200
18.	01.02.08	500000
19.	13.02.08	347000
20.	22.02.08	250000
21.	25.02.08	330000
22.	25.02.08	43150
23.	21.03.08	214800
24.	28.03.08	601600
	योग	**5495050**

B वर्ष 2008–09

भुगतान

क्र.सं.	भुगतान दिनांक	राशि
1.	26.05.08	406000
2.	28.06.08	437000
3.	33.06.08	34400
4.	01.07.08	2055000
5.	18.02.09	180400
6.	27.02.09	292400

क्र.सं.	भुगतान दिनांक	राशि
7.	12.03.09	25000
8.	23.03.09	361200
9.	24.03.09	15000
10.	27.03.09	72960
11.	31.03.09	92500
	योग	**3971860**

C 01.04.09 से 30.11.09

क्र.सं.	भुगतान दिनांक	राशि
1.	06.07.09	60200
	योग	**60200**

II. मै. अरविन्द कुमार पुत्र श्री शिवनारायण चाण्डक नाचना

A वर्ष 2008–09

भुगतान

क्र.सं.	भुगतान दिनांक	राशि
1.	7.08.08	186000
2.	13.08.08	186000
3.	28.08.08	124000
4.	23.09.08	252000

क्र.सं.	भुगतान दिनांक	राशि
5.	25.10.09	67200
6.	13.01.09	939200
7.	23.01.09	62000
	योग	**1816400**

B 01.04.09 से 30.11.09

भुगतान

क्र.सं.	भुगतान दिनांक	राशि
1.	6.07.09	112000
2.	6.07.09	650000
3.	7.07.09	80000
4.	7.07.09	650000
5.	7.07.09	160000
6.	15.07.09	700000
7.	15.07.09	140000
8.	16.07.09	144000
9.	16.07.09	216000

क्र.सं.	भुगतान दिनांक	राशि
10.	16.07.09	480000
11.	16.07.09	120000
12.	20.07.09	558000
13.	20.07.09	145200
14.	20.07.09	336000
15.	20.07.09	252000
16.	23.07.09	180000
	योग	**4923200**

इस प्रकार ग्राम पंचायत नाचना द्वारा मै. दुष्यन्त सिंह पुत्र श्री विक्रम सिंह नाचना को राशि रू. 9427110 तथा मै. अरविन्द कुमार पुत्र श्री शिवनारायण चाण्डक नाचना को राशि रू. 6739600 की निर्माण सामग्री क्रय करके नगद भुगतान किया गया है। ग्राम पंचायत नाचना द्वारा नरेगा योजनान्तर्गत कुल राशि रू. 16266710 (अक्षरे रू. एक करोड बासठ लाख छियासठ हजार सात सौ दस मात्र) की सामग्री क्रय की गई है।

ग्राम पंचायत नाचना द्वारा नियमों के विपरीत रू. 1,62,66,710/– का गैर पंजीकृत फर्मों से क्रय तथा नगद भुगतान कर राज्य सरकार को टीडीएस तथा वैट के रूप में हानि पहुंचाई है तथा गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गई है। जबकि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 एवं नियम 1996 के अनुसार पंचायती राज संस्था रू. 1000/– से अधिक का भुगतान केवल अकाउंट पेयी चैक के माध्यम से कर सकती है जबकि ग्राम पंचायत नाचना में बैंक सुविधा उपलब्ध है। यह अनियमितता किसी विशेष व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए किया जाना प्रतीत होता है।

वित्तीय नियमों के प्रावधानों के अनुसार बिक्रीकर अधिनियम अन्तर्गत गैर पंजीकृत फर्मो की निविदा अस्वीकार की जानी चाहिए थी। उक्त दोनों फर्में सामग्री आपूर्ति के समय पंजीकृत नहीं थीं। इनके द्वारा प्रस्तुत बिलों पर Tin, RST & CST नम्बर अंकित नहीं हैं तथा इनको भुगतान करते समय स्त्रोत पर आयकर की कटौती तथा वैट की कटौती नहीं की गई है।

सामग्री आपूर्ति के ठेके पर 2.24 प्रतिशत की दर से स्त्रोत पर आयकर कटौती तथा विभिन्न निर्माण सामग्री आइटमों पर वाणिज्य कर विभाग द्वारा निर्धारित दर से वैट/ राजस्व की वसूली की जाकर राजकोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

इस प्रकार सामग्री आपूर्ति राशि रू. 1,62,66,710/– पर टीडीएस कटौती राशि 364374 रू. तथा आइटमवार वैट की राशि की गणना करा वसूली की जानी अपेक्षित है।

भाग–ब

जांच अवधि के दौरान भौतिक सत्यापन किये गये 10 कार्यों का विवरण

ग्राम पंचायत नाचना में वर्ष 07–08 में 71 कार्य स्वीकृत हुए एवं वर्ष 08–09 में 79 कार्य स्वीकृत हुए, जिनमें से 146 कार्य 01.04.08 से 30.11.09 के बीच चले हैं। ग्राम पंचायत क्षेत्र इंदिरा गांधी नहर परियोजना कमाण्ड क्षेत्र में आता है। इसमें मुख्य रूप से टांका निर्माण, डिग्गी निर्माण, नाडी खुदाई/ जीर्णोद्धार कार्य, कच्ची खालों को पक्का करने का कार्य, इंदिरा गांधी नहर परियोजना द्वारा बनाये गये खालों (वाटर कोर्स) को पट्टी से कवर करने का कार्य तथा ग्रेवल सडक बनाने आदि के कार्य लिये गये हैं। वर्ष 09–10 में केवल दो कार्य यथा गणेश नाडी विस्तार तथा ईंटों वाली नाडी में मिट्टी खुदाई का कार्य चल रहा है, जिस पर 200 श्रमिक नियोजित हैं। इस वित्तीय वर्ष में कोई नया कार्य चालू नहीं किया गया है। जांच दल द्वारा 12 कार्य देखे गये, जिन में से दो नाडी खुदाई कार्यो के अलावा निम्न 10 कार्यों का मौके पर भौतिक सत्यापन किया गया – (**परिशिष्ट–ब (1–10)**)

कार्य :– SC/ST/BPL परिवारों के खेतों पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 20 डिग्गी निर्माण (तुलछाराम/काछबाराम)

वित्तीय स्वीकृति क्र. : राग्रारोगायो/स्वी./08–09/जैस./5710–19 दि. 03.05.08

स्वी. राशि – 2,50,000 रू., श्रम – 95,000 रू., सामग्री – 1,55,000 रू.
एवं व्यय राशि

क्र.सं.	तथ्यात्मक स्थिति	निष्कर्ष	प्रस्तावित कार्यवाही
1.	20 कार्यों की प्र.स्वी. व तक.स्वी. एक साथ निकाली गई है।	एक साथ प्र.स्वी. व तक.स्वी. निकालने से ग्राम पंचायत स्तर पर भ्रष्टाचार की संभावना हो जाती है।	जिला परिषद के संबंधित अधिकारियों को भविष्य में ऐसा नहीं करने हेतु निर्देशित किया जावे।
2.	तक. स्वी. के साथ संलग्न तकमीने में सीमेन्ट, कंकरीट 1:2:4 (12 एम.एम. गिट्टी) की दर 1965 रू. प्रतिघन मी. ली गई है एवं मौके पर भी 12 एम.एम. गिट्टी ही काम में ली गई है, जबकि एम.बी. में इसकी दर 2223 रू. प्रति घन मी. ली गई है। अतः अन्तर राशि वसूली योग्य है।	अन्तर राशि 53.487 @ 258= 13799.64 रू.वसूली योग्य है।	रू. 13799.64 की राशि ग्राम पंचायत सचिव श्री मनोहर सुथार, सरपंच श्रीमती चांदकंवर तथा कनि. अभि. महावीर सिंह से वसूली जावे तथा कनि. अभि. श्री महावीर सिंह के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।
3.	मौके पर डिग्गी में स्लोप में सीमेन्ट कंकरीट की मोटाई मापी गई जो कि 3" की जगह 2" ही पाई गई। अतः 11.33 घन मी. की राशि वसूली योग्य है।	अन्तर राशि 11.33 @1965= 22263.45 रू. की राशि वसूली योग्य है।	रू. 22263.45 की राशि ग्राम पंचायत सचिव श्री मनोहर सुथार, सरपंच श्रीमती चांदकंवर तथा कनि. अभि. महावीर सिंह से वसूली जावे तथा कनि. अभि. श्री महावीर सिंह के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।
4.	माप पुस्तिका में 320 बैग सीमेन्ट उपयोग में लाना बताया है जबकि बिल 380 बैग का लिया गया है। अतः 60 बैग की राशि फर्म से वसूल की जानी है।	60 बैग सीमेन्ट की राशि 12900 रू. वसूली योग्य है।	रू. 12900 ग्राम पंचायत सचिव श्री मनोहर सुथार, सरपंच श्रीमती चांदकंवर तथा कनि. अभि. महावीर सिंह से वसूले जावें।
5.	पत्थर तथा ग्रिट के परिवहन की राशि वसूली योग्य है क्योंकि निविदा में सामग्री की दरें एफओआर कार्यस्थल हैं, जबकि मूल्यांकन परिवहन लीड जोडकर किया गया। एम.बी. में लीड जोडने के बाद प्राप्त मूल्यांकन राशि के आधार पर फर्म से बिल प्राप्त किये गये हैं।	ग्रिट का परिवहन 17888.27 रू., पत्थर का परिवहन 4946 रू. कुल राशि रू. 22834. 65 वसूली योग्य है।	रू. 22834.65 की राशि ग्राम पंचायत सचिव श्री मनोहर सुथार, सरपंच श्रीमती चांदकंवर तथा कनि. अभि. महावीर सिंह से वसूली जावे तथा कनि. अभि. श्री महावीर सिंह के विरूद्ध अधिक मूल्यांकन तथा ग्रा.पं. सचिव श्री मनोहर सुथार एवं सरपंच के विरूद्ध अस्पष्ट टेण्डर जारी करने हेतु उत्तरदायित्व निर्धारित किया जावे।
6.	मौके पर डिग्गी में दरारें पाई गई, जिससे पानी भरने पर लीक होकर बाहर निकल जाता है।	मौके पर कार्य पर घटिया सामग्री काम में ली गई है।	कार्य की विस्तृत जांच जिला स्तर से करवाकर कमियों को दुरूस्त किया जावे।
वसूली योग्य कुल राशि – 71797.74 रू.			

नोट :– मौके पर इस कार्य की गुणवत्ता बिल्कुल घटिया/निम्न स्तरीय पायी गई। डिग्गी के एक–दो वर्ष में ही अनुपयोगी हो जाने की पूर्ण आशंका है। कमियों को दुरूस्त करने हेतु कनिष्ठ अभियंता को मौके पर ही निर्देश दिये गये।

कार्य :– SC/ST/BPL परिवारों के खेतों पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 20 डिग्गी निर्माण (समधा पत्नी श्री सुरताराम)

वित्तीय स्वीकृति क्र. : राग्रारोगायो/स्वी./08–09/जैस./5710–19 दि. 03.05.08

स्वी. राशि – 2,50,000 रू., श्रम – 95,000 रू., सामग्री – 1,55,000 रू.
एवं व्यय राशि

क्र.सं.	तथ्यात्मक स्थिति	निष्कर्ष	प्रस्तावित कार्यवाही
1.	20 कार्यों की प्र.स्वी. व तक. स्वी. एक साथ निकाली गई है।	एक साथ प्र.स्वी. व तक. स्वी. निकालने से ग्राम पंचायत स्तर पर भ्रष्टाचार की संभावना हो जाती है।	जिला परिषद के संबंधित अधिकारियों को भविष्य में ऐसा नहीं करने हेतु निर्देशित किया जावे।
2.	तक. स्वी. के साथ संलग्न तकमीने में सीमेन्ट, कंकरीट 1 : 2 : 4 (12 एम.एम. गिट्टी) की दर 1965 रू. प्रतिघन मी. ली गई है एवं मौके पर भी 12 एम.एम. गिट्टी ही काम में ली गई है, जबकि एम.बी. में इसकी दर 2223 रू. प्रति घन मी. ली गई है। अतः अन्तर राशि वसूली योग्य है।	अन्तर राशि 56.338 @ 258= 14535.20 रू. वसूली योग्य है।	रू. 14535.20 की राशि ग्राम पंचायत सचिव श्री मनोहर सुथार, सरपंच श्रीमती चांदकंवर तथा कनि. अभि. महावीर सिंह से वसूली जावे तथा कनि. अभि. श्री महावीर सिंह के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।
3.	माप पुस्तिका में 360 बैग सीमेन्ट उपयोग में लाना बताया है जबकि बिल 380 बैग का लिया गया है। अतः 20 बैग की राशि फर्म से वसूल की जानी है।	20 बैग सीमेन्ट की राशि 4300 रू. वसूली योग्य है।	रू. 4300 ग्राम पंचायत सचिव श्री मनोहर सुथार, सरपंच श्रीमती चांदकंवर तथा कनि. अभि. महावीर सिंह से वसूले जावें।
4.	पत्थर तथा ग्रिट के परिवहन की राशि वसूली योग्य है क्योंकि टेण्डर की शर्तों अनुसार सामग्री की दरें एफ. ओ.आर. कार्यस्थल पर है जबकि कार्य का मूल्यांकन करते समय परिवहन पृथक से जोडा गया है। एम.बी. में लीड जोडने के बाद प्राप्त मूल्यांकन राशि के आधार पर फर्म से बिल प्राप्त किये गये हैं।	ग्रिट का परिवहन राशि 19380.27 रू., पत्थर का परिवहन 5311.70 रू. कुल राशि रू. 24691.97 वसूली योग्य है।	रू. 24691.97 राशि की वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री मनोहर सुथार, सरपंच श्रीमती चांदकंवर तथा कनि. अभि. महावीर सिंह से की जानी है तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री मनोहर सुथार एवं सरपंच श्रीमती चांदकंवर के विरूद्ध अस्पष्ट टेण्डर स्वीकृत करने तथा कनि.अभि. श्री महावीर सिंह के विरूद्ध लीड अनुमत नहीं होने के बावजूद लीड जोडकर अधिक मूल्यांकन के लिए उत्तदरायित्व निर्धारण की कार्यवाही अपेक्षित है।
वसूली योग्य कुल राशि – 43527.17 रू.			

कार्य :– ग्रेवल सडक मय नाली निर्माण अलीपुरा से पूजराजसिंहपुरा

वित्तीय स्वीकृति क्र. : जिपजै./नरेगा/स्वी./08–09/7970 दि. 30.01.09

स्वी. राशि – 5.00 लाख रू., श्रम – 1.50 लाख रू., सामग्री – 3.50 लाख रू.
व्यय राशि – 4.245 लाख रू., श्रम – 1.50 लाख रू., सामग्री – 2.745 लाख रू.

क्र.सं.	तथ्यात्मक स्थिति	निष्कर्ष	प्रस्तावित कार्यवाही
1.	तक.स्वी. के साथ संलग्न एस्टीमेट में नक्शा, मेटेरियल कन्जमशन व लीड स्टेटमेन्ट संलग्न नहीं है। रोलर से रोड कॉम्पेक्शन व नाली निर्माण का आईटम नहीं लिया गया है।	तकनीकी स्वीकृति अधूरी है।	अधि.अभियंता, नरेगा जिला परिषद को भविष्य में ध्यान रखने हेतु निर्देशित किया जावे।
2.	Excavation of Gravel at Query आइटम अंतर्गत केवल 10 प्रतिशत लूज वोइड्स की राशि ही माप पुस्तिका में काटी गई है, जबकि जिले की नरेगा बी.एस.आर अनुसार 1/6 (=16.66%) शून्य काटकर आपूर्ति की जानी चाहिए थी।	ग्रेवल की अन्तर राशि 54.71 @ 60= 3282.60 रू. वसूली योग्य है।	रू. 3282.60 की राशि ग्राम पंचायत सचिव श्री मनोहर सुथार, सरपंच श्रीमती चांदकंवर तथा कनि. अभि. महावीर सिंह से वसूली जावे तथा कनि. अभि. श्री महावीर सिंह के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।
3.	Spreading of Gravel आइटम में भी 54.71 घन मी. की राशि वसूली योग्य है।	अन्तर राशि 54.71 @ 39= 2133.69 रू. वसूली योग्य है।	रू. 2133.69 की राशि ग्राम पंचायत सचिव श्री मनोहर सुथार, सरपंच श्रीमती चांदकंवर तथा कनि. अभि. महावीर सिंह से वसूली जावे तथा कनि. अभि. श्री महावीर सिंह के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।
4.	ग्रेवल के परिवहन अन्तर्गत एम. बी. अनुसार परिवहन राशि रू. 185538.58 ली गई है, जबकि इस पेटे सप्लायर से लिये गये बिल अनुसार राशि रू. 139500 का है। अतः अन्तर राशि वसूली योग्य है।	ग्रेवल परिवहन की अन्तर राशि रू. 185538.58– 139500 = 46038.58 वसूली योग्य है।	रू. 46038.58 राशि की वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री मनोहर सुथार, सरपंच श्रीमती चांदकंवर तथा कनि. अभि. महावीर सिंह से की जानी है तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री मनोहर सुथार एवं सरपंच श्रीमती चांदकंवर के विरूद्ध अस्पष्ट टेण्डर स्वीकृत करने तथा कनि.अभि. श्री महावीर सिंह के विरूद्ध लीड जोडकर अधिक मूल्यांकन के लिए उत्तदरायित्व निर्धारण की कार्यवाही अपेक्षित है।
वसूली योग्य कुल राशि – 51454.87 रू.			

कार्य :– ग्रेवल सडक निर्माण 12 एस.के.डी. से कबीरपुरा – नाचना

वित्तीय स्वीकृति क्र. : जिपजै./नरेगा/स्वी./08–09/7970 दि. 30.01.09

स्वी. राशि – 10.00 लाख रू., श्रम – 6.00 लाख रू., सामग्री – 4.00 लाख रू.
व्यय राशि – 9.37 लाख रू., श्रम – 6.00 लाख रू., सामग्री – 3.712 लाख रू.

क्र.सं.	तथ्यात्मक स्थिति	निष्कर्ष	प्रस्तावित कार्यवाही
1.	तक.स्वी. के साथ संलग्न एस्टीमेट में नक्शा, मेटेरियल कन्जमशन व लीड स्टेटमेन्ट संलग्न नहीं है। रोलर कॉम्पेक्शन आईटम नहीं लिया गया है।	तकनीकी स्वीकृति अधूरी है।	अधि.अभियंता, नरेगा जिला परिषद को भविष्य में ध्यान रखने हेतु निर्देशित किया जावे।
2.	मौके पर रोड की लम्बाई एम. बी. की तुलना में 200 फुट कम पाई गई। रोड की प्रति फुट लागत 140.86 रू. है।	200 फुट रोड की राशि 200 @ 140.86 = 28172 रू. वसूली योग्य है।	रू. 28172 की राशि ग्राम पंचायत सचिव श्री मनोहर सुथार, सरपंच श्रीमती चांदकंवर तथा कनि. अभि. महावीर सिंह से वसूली जावे तथा कनि. अभि. श्री महावीर सिंह के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।
3.	Excavation of Gravel at Query आइटम अंतर्गत केवल 10 प्रतिशत लूज वोइड्स की राशि ही माप पुस्तिका में काटी गई है, जबकि जिले की नरेगा बी.एस.आर अनुसार 1/6 (=16.66%) शून्य काटकर आपूर्ति की जानी चाहिए थी।	ग्रेवल की अन्तर राशि 123.15 @ 60= 7389 रू. वसूली योग्य है।	रू. 7389 की राशि ग्राम पंचायत सचिव श्री मनोहर सुथार, सरपंच श्रीमती चांदकंवर तथा कनि. अभि. महावीर सिंह से वसूली जावे तथा कनि. अभि. श्री महावीर सिंह के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।
4.	Spreding of Gravel आइटम में भी 123.15 घन मी. की ग्रेवल की राशि वसूली योग्य है।	अन्तर राशि 123.15 @ 39= 4802.85 रू. वसूली योग्य है।	रू. 4802.85 की राशि ग्राम पंचायत सचिव श्री मनोहर सुथार, सरपंच श्रीमती चांदकंवर तथा कनि. अभि. महावीर सिंह से वसूली जावे तथा कनि. अभि. श्री महावीर सिंह के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।
5.	ग्रेवल के परिवहन अन्तर्गत एम. बी. अनुसार परिवहन राशि रू. 365680 ली गई है, जबकि इस पेटे सप्लायर से लिये गये बिल अनुसार राशि रू. 160000 का है। अतः अन्तर राशि वसूली योग्य है।	ग्रेवल परिवहन की अन्तर राशि रू. 365680 – 160000 = 205680 वसूली योग्य है।	रू. 205680 राशि की वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री मनोहर सुथार, सरपंच श्रीमती चांदकंवर तथा कनि. अभि. महावीर सिंह से की जानी है तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री मनोहर सुथार एवं सरपंच श्रीमती चांदकंवर के विरूद्ध अस्पष्ट टेण्डर स्वीकृत करने तथा कनि.अभि. श्री महावीर सिंह के विरूद्ध लीड जोडकर अधिक मूल्यांकन के लिए उत्तदरायित्व निर्धारण की कार्यवाही अपेक्षित है।
वसूली योग्य कुल राशि – 246043.85 रू.			

कार्य :– खालों की कच्ची साखों का कार्य चक 1ULM, 2SKD, 13,14,15,16 GTD 1KRM 'A', 1,2,3,4 BRM, 2,3,4,5,6,7 NM

वित्तीय स्वीकृति क्र. : जिपजै./नरेगा/स्वी./08/7586 दि. 01.01.09

स्वी. राशि – 25.00 लाख रू., श्रम – 8.75 लाख रू., सामग्री – 16.25 लाख रू.
व्यय राशि – 15.25 लाख रू., श्रम – 8.75 लाख रू., सामग्री – 6.50 लाख रू.

क्र.सं.	तथ्यात्मक स्थिति	निष्कर्ष	प्रस्तावित कार्यवाही
1.	तक.स्वी. के साथ एक मुरब्बा जमीन (800 फुट लम्बाई) का मॉडल एस्टीमेट लिया गया है। इस कार्य हेतु किस–किस मुरब्बे/ चक में कितनी लम्बाई का कार्य लिया गया, इसका विवरण नहीं है।	तकनीकी स्वीकृति के साथ नक्शा, लीड स्टेटमेन्ट, पूरे कार्य का एस्टीमेट, मेटेरियल कन्जमशन नहीं दिये गये हैं। अतः अधूरी तक.स्वी. जारी की गई है।	अधि.अभियंता, नरेगा जिला परिषद को भविष्य में ध्यान रखने हेतु निर्देशित किया जावे।
2.	कार्य पर काम में ली गई ईंटे तथा बजरी के परिवहन की राशि वसूली योग्य हैं, निविदा में सामग्री की दरें एफओआर कार्यस्थल हैं, जबकि मूल्यांकन परिवहन लीड जोडकर किया गया। कार्य का मूल्यांकन बी. एस.आर. आधार पर किया गया है तथा सामग्री के बिल निविदा पर लिये गये हैं। एम.बी. में अंकित उपयोग सामग्री की मात्रा तथा बिल में आपूर्ति की गई सामग्री का मिलान ही नहीं होता है। एम.बी. में लीड जोडने के बाद प्राप्त मूल्यांकन राशि के आधार पर ठेकेदार फर्म से बिल प्राप्त किये गये हैं।	ईंटों की परिवहन राशि 260192.95 रू. बजरी की परिवहन राशि 192660 रू. कुल राशि रू. 452852.95 रू. वसूली योग्य है।	परिवहन राशि रू.452852.95 की वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री मनोहर सुथार, सरपंच श्रीमती चांदकंवर तथा कनि. अभि. महावीर सिंह से की जानी है तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री मनोहर सुथार एवं सरपंच श्रीमती चांदकंवर के विरूद्ध अस्पष्ट टेण्डर स्वीकृत करने तथा कनि.अभि. श्री महावीर सिंह के विरूद्ध लीड अनुमत नहीं होने के बावजूद लीड जोडकर अधिक मूल्यांकन के लिए उत्तदरायित्व निर्धारण की कार्यवाही अपेक्षित है।
वसूली योग्य कुल राशि – 452852.95 रू.			

कार्य :– खाला पट्टी कवरिंग कार्य चक 1KRM 'A', 23 GTD, 13-14 TD, मीरपुरा

वित्तीय स्वीकृति क्र. : जिपजै./नरेगा/स्वी./08/7586 दि. 01.01.09

स्वी. राशि – 6.03 लाख रू., श्रम – 2.40 लाख रू., सामग्री – 3.63 लाख रू.
व्यय राशि – 594950 रू., श्रम – 239900 रू., सामग्री – 355050 रू.

क्र.सं.	तथ्यात्मक स्थिति	निष्कर्ष	प्रस्तावित कार्यवाही
1.	तक.स्वी. के साथ एक मुरब्बा जमीन (800 फुट लम्बाई) का मॉडल एस्टीमेट संलग्न किया गया है। इस कार्य हेतु किस–किस मुरब्बे/ चक में कितनी लम्बाई का कार्य लिया गया, इसका विवरण नहीं है।	तकनीकी स्वीकृति के साथ पूरा एस्टीमेट, लीड स्टेटमेन्ट, मेटेरियल कन्जमशन और नक्शा नहीं दिये गये हैं। अतः अधूरी तक. स्वी. जारी की गई है।	अधि.अभियंता, नरेगा जिला परिषद को भविष्य में ध्यान रखने हेतु निर्देशित किया जावे।
2.	कार्य पर काम में ली गई पट्टियों का परिवहन वसूली योग्य हैं, निविदा में सामग्री की दरें एफओआर कार्यस्थल हैं, जबकि मूल्यांकन परिवहन लीड जोडकर किया गया। कार्य का मूल्यांकन बी.एस.आर. आधार पर किया गया है तथा सामग्री के बिल निविदा पर लिये गये हैं। एम.बी. में अंकित उपयोग सामग्री की मात्रा तथा बिल में आपूर्ति की गई सामग्री का मिलान ही नहीं होता है। एम. बी. में लीड जोडने के बाद प्राप्त मूल्यांकन राशि के आधार पर ठेकेदार फर्म से बिल प्राप्त किये गये हैं।	पट्टियों की परिवहन राशि रू. 71605 वसूली योग्य है।	परिवहन राशि रू. 71605 राशि की वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री मनोहर सुथार, सरपंच श्रीमती चांदकंवर तथा कनि. अभि. महावीर सिंह से की जानी है तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री मनोहर सुथार एवं सरपंच श्रीमती चांदकंवर के विरूद्ध अस्पष्ट टेण्डर स्वीकृत करने तथा कनि. अभि. श्री महावीर सिंह के विरूद्ध लीड अनुमत नहीं होने के बावजूद लीड जोडकर अधिक मूल्यांकन के लिए उत्तदरायित्व निर्धारण की कार्यवाही अपेक्षित है।
वसूली योग्य कुल राशि – 71605 रू.			

कार्य :– फूलों वाली नाडी, बेरियां एवं सागरी कुआं जीर्णोद्धार

वित्तीय स्वीकृति क्र. : जिपजै./नरेगा/स्वी./08–09/7970 दि. 30.01.09

स्वी. राशि – 9.00 लाख रू., श्रम – 3.60 लाख रू., सामग्री – 5.40 लाख रू.
व्यय राशि – 5.96 लाख रू., श्रम – 2.99 लाख रू., सामग्री – 2.97 लाख रू.

क्र.सं.	तथ्यात्मक स्थिति	निष्कर्ष	प्रस्तावित कार्यवाही
1.	तक.स्वी. के साथ कार्य का नक्शा, लीड स्टेटमेंट एवं पूर्व में हुए कार्य का विवरण उपलब्ध नहीं है। तीन अलग–अलग कार्यों की स्वीकृति एक साथ जारी की गई है जबकि वह काफी दूरी पर अलग–अलग कार्यस्थलों पर स्थित हैं।	तकनीकी स्वीकृति अस्पष्ट एवं अधूरी है।	अधि.अभियंता, नरेगा जिला परिषद को भविष्य में ध्यान रखने हेतु निर्देशित किया जावे।
2.	बेरियां का रिपेयर कार्य सार्वजनिक स्थल पर ना होकर सामान्य श्रेणी के व्यक्ति (सरपंच अथवा रिश्तेदार) के घर के बाहर किया गया है।	नरेगा अधिनियम अनुसार व्यक्तिगत लाभ के कार्य SC/ST/BPL के ही स्वीकृत हो सकते हैं। बेरियां पर खर्च 51462 रू. की राशि सरपंच श्रीमती चांदकंवर से वसूली योग्य है।	बेरियां पर खर्च 51462 रू. की राशि ग्राम पंचायत सचिव श्री मनोहर सुथार तथा सरपंच श्रीमती चांदकंवर से वसूली की जावे एवं गलत कार्य के चयन हेतु ग्राम पंचायत सचिव के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।
3.	माप पुस्तिका अनुसार कार्य पर 255 बैग सीमेन्ट लगा है लेकिन बिल 260 बैग का उठाया गया है।	5 सीमेन्ट बैग की राशि रू. 1075 की वसूली बनती है।	रू. 1075 ग्राम पंचायत सचिव श्री मनोहर सुथार, सरपंच श्रीमती चांदकंवर तथा कनि. अभि. महावीर सिंह से वसूली की जावे।
4.	कार्य पर 3864 ईंटे लगी हैं जबकि सप्लायर के बिल अनुसार 30000 ईंटें सप्लाई की हैं, अतः 26136 ईंटों की वसूली बनती है।	26136 ईंटों की राशि रू. 104544 वसूली योग्य हैं।	रू. 104544 ग्राम पंचायत सचिव श्री मनोहर सुथार, सरपंच श्रीमती चांदकंवर तथा कनि. अभि. महावीर सिंह से वसूली की जावे।
5.	ईंटे, बजरी तथा पत्थर का परिवहन वसूली योग्य हैं। निविदा में सामग्री की दरें एफओआर कार्यस्थल हैं, जबकि मूल्यांकन परिवहन लीड जोडकर किया गया। कार्य का मूल्यांकन बी.एस.आर. आधार पर किया गया है तथा सामग्री के बिल निविदा पर लिये गये हैं। एम.बी. में अंकित उपयोग सामग्री की मात्रा तथा बिल में आपूर्ति की गई सामग्री का मिलान ही नहीं होता है। एम.बी. में लीड जोडने के बाद प्राप्त मूल्यांकन राशि के आधार पर ठेकेदार फर्म से बिल प्राप्त किये गये हैं।	ईंटें की परिवहन राशि 3650 रू. बजरी की परिवहन राशि 32533.49 रू. पत्थर की परिवहन राशि 9904.62 रू. मोठवा पत्थर की परिवहन राशि 936.54 रू.कुल राशि **रू. 47024.65** वसूली योग्य है।	परिवहन राशि रू. 47024.65 की वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री मनोहर सुथार, सरपंच श्रीमती चांदकंवर तथा कनि. अभि. महावीर सिंह से की जानी है तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री मनोहर सुथार एवं सरपंच श्रीमती चांदकंवर के विरूद्ध अस्पष्ट टेण्डर स्वीकृत करने तथा कनि.अभि. श्री महावीर सिंह के विरूद्ध लीड अनुमत नहीं होने के बावजूद लीड जोडकर अधिक मूल्यांकन के लिए उत्तदरायित्व निर्धारण की कार्यवाही अपेक्षित है।
वसूली योग्य कुल राशि – 204105.65 रू.			

नोट :– सागरी कुआं का जीर्णोद्धार कार्य आरम्भ ही नहीं किया गया है, तकनीकी स्वीकृति बिना मौका निरीक्षण के जारी की गई।

कार्य :– SC/ST/BPL परिवारों के खेतों पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 20 टांका निर्माण (श्री गोरखाराम/पूर्णाराम)

वित्तीय स्वीकृति क्र. : जिपजै./नरेगा/स्वी./08/8588 दि. 26.02.09

स्वी. राशि – 55000 रू., श्रम – 13000 रू., सामग्री – 42000 रू.
एवं व्यय राशि

क्र.सं.	तथ्यात्मक स्थिति	निष्कर्ष	प्रस्तावित कार्यवाही
1	निविदा में सामग्री की दरें एफओआर कार्यस्थल हैं, लेकिन पत्थर, ब्लास्ट व ग्रिट का परिवहन 80 कि.मी. से लिया गया है। कार्य का मूल्यांकन बी.एस. आर. आधार पर किया गया है तथा सामग्री के बिल निविदा पर लिये गये हैं। एम.बी. में अंकित उपयोग सामग्री की मात्रा तथा बिल में आपूर्ति की गई सामग्री का मिलान ही नहीं होता है। एम.बी. में लीड जोडने के बाद प्राप्त मूल्यांकन राशि के आधार पर ठेकेदार फर्म से बिल प्राप्त किये गये हैं।	पत्थर की परिवहन राशि 6890.32 रू. ब्लास्ट व ग्रिट की परिवहन राशि 2542.16 रू. कुल राशि रू. 9432.48 वसूली योग्य हैं।	रू. 9432.48 राशि की वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री मनोहर सुथार, सरपंच श्रीमती चांदकंवर तथा कनि. अभि. महावीर सिंह से की जानी है तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री मनोहर सुथार एवं सरपंच श्रीमती चांदकंवर के विरूद्ध अस्पष्ट टेण्डर स्वीकृत करने तथा कनि.अभि. श्री महावीर सिंह के विरूद्ध लीड अनुमत नहीं होने के बावजूद लीड जोडकर अधिक मूल्यांकन के लिए उत्तदरायित्व निर्धारण की कार्यवाही अपेक्षित है।।
2.	माप पुस्तिका में 68 बैग उपयोग के विरूद्ध केवल 64 बैग ही क्रय किये गये हैं।	कार्य पर उपयोग ली गई मात्रा से कम मात्रा में सीमेन्ट क्रय की गई।	
3.	बिल सं. 211 दि. 08.03.09 अनुसार पत्थर, ब्लास्ट व ग्रिट की आपूर्ति गाडी/ ट्रेक्टर ट्रिप के हिसाब से ली गई है, जिसमें यह पता नहीं लगता कि कितनी मात्रा सप्लाई हुई	अस्पष्ट निविदा स्वीकृत करने के लिए ग्राम सेवक तथा सरपंच उत्तरदायी हैं तथा बी.एस.आर. दर पर लीड जोडने हेतु कनि. अभि. उत्तरदायी हैं।	ग्राम पंचायत सचिव श्री मनोहर सुथार, सरपंच श्रीमती चांदकंवर द्वारा मिलकर अनियमितता की गई है, इनके विरूद्ध उत्तरदायित्व निर्धारण की कार्यवाही की जावे।
वसूली योग्य कुल राशि – 9432.48 रू.			

कार्य :– SC/ST/BPL परिवारों के खेतों पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 20 टांका निर्माण (श्री मिश्रीराम/ पोकरराम मेघवाल)

वित्तीय स्वीकृति क्र. : राग्रारोगायो/स्वी./08–09/जैस./5710–19 दि. 03.05.08

स्वी. राशि – 55000 रू., श्रम – 13000 रू., सामग्री – 42000 रू.
एवं व्यय राशि

क्र.सं.	तथ्यात्मक स्थिति	निष्कर्ष	प्रस्तावित कार्यवाही
1	माप पुस्तिका के अनुसार टांके में 68 बैग सीमेन्ट उपयोग में ली गई है, लेकिन सामग्री खरीद बिल में केवल 64 बैग ही क्रय किये बताये हैं।	कार्य पर उपयोग ली गई सीमेन्ट से कम मात्रा क्रय की गई।	
2.	निविदा में सामग्री की दरें एफओआर कार्यस्थल हैं, लेकिन पत्थर, ब्लास्ट व ग्रिट का परिवहन 80 कि.मी. से लिया गया है। कार्य का मूल्यांकन बी. एस.आर. आधार पर किया गया है तथा सामग्री के बिल निविदा पर लिये गये हैं। एम.बी. में अंकित उपयोग सामग्री की मात्रा तथा बिल में आपूर्ति की गई सामग्री का मिलान ही नहीं होता है। एम.बी. में लीड जोडने के बाद प्राप्त मूल्यांकन राशि के आधार पर ठेकेदार फर्म से बिल प्राप्त किये गये हैं।	पत्थर की परिवहन राशि 7363.32 रू. ब्लास्ट व ग्रिट की परिवहन राशि 2580 रू. कुल राशि रू. 9943.32 वसूली योग्य हैं।	रू. 9943.32 राशि की वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री मनोहर सुथार, सरपंच श्रीमती चांदकंवर तथा कनि. अभि. महावीर सिंह से की जानी है तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री मनोहर सुथार एवं सरपंच श्रीमती चांदकंवर के विरूद्ध अस्पष्ट टेण्डर स्वीकृत करने तथा कनि.अभि. श्री महावीर सिंह के विरूद्ध लीड अनुमत नहीं होने के बावजूद लीड जोडकर अधिक मूल्यांकन के लिए उत्तदरायित्व निर्धारण की कार्यवाही अपेक्षित है।
3.	सामग्री क्रय के बिल सं. 32 दिनांक 24.08.08 में पत्थर, बजरी, कंकरीट की आपूर्ति गाडी अथवा ट्रेक्टर ट्रिप अनसुार ली गई है एवं उनकी क्षमता नहीं बताई गई है। अतः यह पता नहीं चलता कि कुल कितनी मात्रा में सामग्री सप्लाई हुई। एम.बी. में किये गये मूल्यांकन तथा सामग्री आपूर्ति के सप्लायर के बिलों व अंकित सामग्री की मात्रा का मिलान ही नहीं हो पाता है।	अस्पष्ट निविदा स्वीकृत करने के लिए ग्राम सेवक तथा सरपंच उत्तरदायी हैं।	ग्राम पंचायत सचिव श्री मनोहर सुथार, सरपंच श्रीमती चांदकंवर द्वारा मिलकर अनियमितता की गई है, इनके विरूद्ध उत्तरदायित्व निर्धारण की कार्यवाही की जावे।
वसूली योग्य कुल राशि – 9943.32 रू.			

कार्य :– टांका निर्माण कार्य (श्री भगवाना राम/ मोडाराम मेघवाल)

वित्तीय स्वीकृति क्र. : : जिपजै./नरेगा/07–08/1541 दि. 15.12.07

स्वी. राशि – 50000 रू., श्रम – 7000 रू., सामग्री – 43000 रू.
एवं व्यय राशि

क्र.सं.	तथ्यात्मक स्थिति	निष्कर्ष	प्रस्तावित कार्यवाही
1.	तकनीकी स्वीकृति के साथ लीड स्टेटमेन्ट व नक्शा संलग्न नहीं है।	जिला परिषद स्तर से तकनीकी स्वी. जारी करते समय तकमीने में लीड स्टेटमेंट व नक्शा लिया जाना चाहिए था।	अधि.अभियंता, नरेगा जिला परिषद को भविष्य में ध्यान रखने हेतु निर्देशित किया जावे।
2	माप पुस्तिका के अनुसार टांके में 63 बैग सीमेन्ट उपयोग में ली गई है, लेकिन सामग्री खरीद बिल में 67 बैग ही क्रय किये हैं।	4 बैग सीमेन्ट की राशि रू. 800 वसूली योग्य हैं।	राशि रू. 800 की राशि ग्राम पंचायत सचिव श्री मनोहर सुथार, सरपंच श्रीमती चांदकंवर तथा कनि. अभि. महावीर सिंह से वसूले जाने हैं।
3.	निविदा में सामग्री की दरें एफओआर कार्यस्थल हैं, जबकि मूल्यांकन परिवहन लीड जोडकर किया गया। कार्य का मूल्यांकन बी.एस.आर. आधार पर किया गया है तथा सामग्री के बिल निविदा पर लिये गये हैं। एम.बी. में अंकित उपयोग सामग्री की मात्रा तथा बिल में आपूर्ति की गई सामग्री का मिलान ही नहीं होता है। एम.बी. में लीड जोडने के बाद प्राप्त मूल्यांकन राशि के आधार पर ठेकेदार फर्म से बिल प्राप्त किये गये हैं।	पत्थर की परिवहन राशि 6594.64 रू. ब्लास्ट व ग्रिट की परिवहन राशि 2435. 42 रू. कुल राशि रू. 9030. 06 वसूली योग्य हैं।	रू. 9030.06 राशि की वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री मनोहर सुथार, सरपंच श्रीमती चांदकंवर तथा कनि. अभि. महावीर सिंह से की जानी है तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री मनोहर सुथार एवं सरपंच श्रीमती चांदकंवर के विरूद्ध अस्पष्ट टेण्डर स्वीकृत करने तथा कनि.अभि. श्री महावीर सिंह के विरूद्ध लीड अनुमत नहीं होने के बावजूद लीड जोडकर अधिक मूल्यांकन के लिए उत्तदरायित्व निर्धारण की कार्यवाही अपेक्षित है।
4.	सामग्री सप्लाई के बिल दि. 27.12.07 व 19.12.08 में पत्थर व बजरी प्रति गाडी/ ट्रेक्टर ट्रिप अनसुार ली गई है एवं उनकी क्षमता नहीं बताई गई है। अतः यह पता नहीं चलता कि कुल कितनी मात्रा में सामग्री सप्लाई हुई। एम.बी. में किये गये मूल्यांकन तथा सामग्री आपूर्ति के सप्लायर के बिलों व अंकित सामग्री की मात्रा का मिलान ही नहीं हो पाता है।	अस्पष्ट निविदा स्वीकृत करने के लिए ग्राम सेवक तथा सरपंच उत्तरदायी हैं।	ग्राम पंचायत सचिव श्री मनोहर सुथार, सरपंच श्रीमती चांदकंवर, कनि. अभि. श्री महावीर सिंह द्वारा मिलकर अनियमितता की गई है, इनके विरूद्ध कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।
वसूली योग्य कुल राशि – 9830.06 रू.			

भाग–स

7. **<u>शिकायतों की सुनवायी</u>** – ग्राम पंचायत नाचना की विशेष जांच के दौरान दि. 23.12.09 से 28.12.09 की अवधि में जांच दल द्वारा सभी शिकायत कर्ताओं को व्यक्तिशः सुना गया। राज्य सरकार को ग्राम पंचायत नाचना के कार्यकलापों के संबंध में प्राप्त शिकायतकर्ताओं को जिनके द्वारा शिकायत तथ्यों के साथ की गई है, उनको लिखित नोटिस तामील करवाकर ग्राम पंचायत मुख्यालय बुलवाया गया।

1. पदमीचन्द पुत्र श्री देवीलाल सोनी निवासी नाचना द्वारा माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार को प्रेषित शिकायत दि. 01.12.09
2. पुखराज सोनी पुत्र श्री शंकरलाल सोनी निवासी नाचना द्वारा माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार को प्रेषित शिकायत दि. 01.12.09
3. खेम सिंह पुत्र श्री सुजान सिंह राजपूत निवासी नाचना द्वारा आयुक्त नरेगा को प्रेषित शिकायत दि. 01.12.09
4. मेधसिंह भाटी पुत्र श्री सुजान सिंह भाटी निवासी नाचना द्वारा आयुक्त नरेगा को प्रेषित शिकायत दि. 11.12.09
5. दलित अधिकार अभियान कमेटी पोकरण के महासचिव की गणपत गर्ग द्वारा माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार को प्रेषित शिकायत दि. 14.12.09

उपरोक्त पांचों शिकायतें तथ्यात्मक प्रतीत होने के कारण क्र.सं. 1 से 4 तक अंकित शिकायतकर्ताओं को लिखित में नोटिस तामील करवाकर तथा क्र सं. 5 पर अंकित शिकायत के क्रम में श्री गणपत गर्ग को मो. नं. 9982314370 पर संदेश देकर सुनवायी हेतु ग्राम पंचायत मुख्यालय नाचना में उपस्थित होने हेतु सूचित किया गया। क्र.सं. 1 से 4 तक के शिकायतकर्ता व्यक्तिशः ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उपस्थित हुए तथा क्र.सं. 5 के क्रम में शिकायतकर्ता से मोबाईल पर सम्पर्क करने पर उपस्थित होने की सहमति दी, लेकिन दि. 28.12.09 तक उपस्थित नहीं हुए। श्री गर्ग द्वारा मोबाईल पर संपर्क के समय उनके द्वारा शिकायत में अंकित सभी तथ्यों के सही होने की बात दोहरायी।

उपरोक्त शिकायतकर्ताओं तथा ग्राम पंचायत का रिकार्ड/ पक्ष सुनने के बाद स्थिति इस प्रकार है :– (**<u>परिशिष्ट–स–1</u>**)

1. खेम सिंह पुत्र श्री सुजान सिंह राजपूत निवासी नाचना तथा श्री मेध सिंह भाटी पुत्र श्री सुजान सिंह भाटी द्वारा की गई जॉब कार्ड दुरूपयोग एवं गलत भुगतान उठने की शिकायत के तथ्य सही पाये गये हैं। दोनों ही शिकायतकर्ता पढे लिखे व्यक्ति हैं तथा इनके नाम पर भुगतान प्राप्ति के तौर पर मस्टररोल में अंगूठा निशानी अंकित हैं, लेकिन दोनों ही शिकायतकर्ताओं द्वारा अब भुगतान परिवार के अन्य लोगों को मिल जाने तथा शिकायत वापस लेने का आवेदन व्यक्तिशः उपस्थित होकर किया तथा शपथ पत्र भी प्रस्तुत किये हैं। इस प्रकार आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

2. पदमीचन्द पुत्र श्री देवीलाल सोनी तथा पुखराज सोनी पुत्र श्री शंकरलाल सोनी द्वारा की गई शिकायत के तथ्य दलित अधिकार अभियान कमेटी पोकरण द्वारा की गई शिकायत में सम्मिलित हैं तथा श्री पदमीचन्द तथा श्री पुखराज द्वारा शिकायतें वापस लेने तथा शपथ पत्र प्रस्तुत करने के फलस्वरूप इन प्रकरणों पर आगे कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

3. दलित अधिकार अभियान कमेटी पोकरण द्वारा प्रस्तुत शिकायत पर ग्राम पंचायत के रिकार्ड तथा पक्ष सुनने के बाद स्थिति निम्न प्रकार प्रकट होती है :–

i) मृतक मागुसिंह, मस्टररोल 99055

एमआईएस में दर्ज मस्टररोल 99055 की प्रविष्टियों में मृतक मागुसिंह का नाम मस्टररोल में क्रम सं. 1 पर दर्ज है तथा कुल 9 श्रमिकों के नाम अंकित है। ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध मस्टररोल 99055 में भागु सिंह का नाम अंकित नहीं है तथा प्रेम कंवर पत्नी श्री उम्मेद सिंह राजपूत तथा ओम प्रकाश पुत्र श्री विजय सिंह को सम्मिलित कर 10 श्रमिकों का भुगतान उठाया गया। एमआईएस में प्रविष्टि का आधार भी ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध सूचना दी होती है। अतः इस विसंगति का कारण स्पष्ट कराया जाना अपेक्षित है। इसमें रिकार्ड में हेराफेरी कर गलत भुगतान उठने की पूरी आशंका है। पदमीचन्द पुत्र श्री देवीलाल सोनी द्वारा की गई शिकायत में मागुसिंह पुत्र जोधासिंह जॉब कार्ड सं. 2616131, मस्टररोल 99055 में भुगतान उठना बताया जबकि मागुसिंह की मृत्यु 2008 में होना उल्लेखित किया है।

ii) मृतक प्रभुराम/ मूलाराम मेघवाल का भुगतान उठना

एमआईएस में मस्टररोल नं. 38181 में क्र.सं. 3 पर प्रभुराम 2515926 का नाम अंकित है जबकि ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध कराया मस्टररोल जॉब कार्ड 38181 में प्रभुराम का नाम अंकित नहीं है जबकि इसके स्थान पर हुसैन/ मीरू खां का नाम अंकित है बाकी नाम एमआईएस तथा ग्राम पंचायत के मस्टररोल 38181 में समान है। प्रकरण रिकार्ड में हेराफेरी कर गलत भुगतान उठाने का है, भुगतान की गई राशि रू. 1300 वसूली योग्य है।

एमआईएस में मस्टररोल 38181 में अंकित प्रविष्टि एवं ग्राम पंचायत के मस्टररोल में अंकित प्रविष्टियों में विसंगति का कारण स्पष्ट करवाया जाना अपेक्षित है। ग्राम पंचायत द्वारा इस संबंध में कोई कारण नहीं बताया गया है।

iii) मृतका नाजुदेवी पत्नी जवाहर सोनी से मस्टररोल 81901 अवधि 16.01.09 से 31.01.09 राशि रू. 1200 तथा मस्टररोल सं. 99107 अवधि 01.02.09 से 15.02.09 राशि रू. 1000 का फर्जी भुगतान उठना पाया जाता है। ग्राम पंचायत नाचना द्वारा अपने जवाब में गलत जॉब कार्ड बनना तथा फर्जी

भुगतान उठना स्वीकार किया गया है। अतः गबन राशि 2200 रू. की वसूली भुगतान के लिए उत्तरदायी ग्राम सचिव मनोहरलाल सुथार तथा सरपंच श्रीमती चांदकंवर से वसूलनीय है। ग्राम सचिव तथा सरपंच के साथ मस्टररोल में मृतक की उपस्थिति अंकित करने वाला मेट भी आपराधिक प्रकरण में उत्तरदायी है।

iv) मृतक ममता पत्नी अशोक कुमार टावरी के नाम पर मस्टररोल 61958 में अवधि 16.01.09 से 31.01.09 तक कुल दिवस 12 की मजदूरी उठाकर राशि रू. 1200 का गबन किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा अपने जवाब में मृतक के जॉबकार्ड पर फर्जी भुगतान उठना स्वीकार किया गया है। उक्त राशि ग्राम सचिव तथा ग्राम पंचायत के सरपंच से वसूलनीय है। इस आपराधिक प्रकरण में संबंधित मेट की आपराधिक कृत्य के लिए उत्तरदायी है।

8. <u>सरकारी कर्मचारियों के नाम मस्टररोल में चलाकर फर्जी भुगतान उठाना</u> –

i) नखताराम/अर्जुनराम मील मस्टररोल सं. 67634 अवधि 16.09.08 से 30. 01.08 एमआईएस में नखताराम/ अर्जुनराम मील 51615202 का नाम अंकित है तथा 1100 रू. का भुगतान अंकित है जबकि ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध एमआर 67634 में नखताराम के स्थान पर भूराराम/वलराम भील जॉब कार्ड सं. 2515928 अंकित है। इस प्रकार उक्त प्रकरण रिकार्ड में हेराफेरी का प्रकट होता है। जबकि एमआईएस में अंकित बाकी 9 नाम समान मिलते हैं। राशि रू. 1100 ग्राम सचिव तथा सरपंच से वसूलनीय तथा रिकार्ड में हेराफेरी के लिए आपराधिक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

ii) कुम्भाराम/ माखरराम मेघवाल सरकारी कर्मचारी होते हुए भी मस्टररोल सं. 166317 जॉब कार्ड 51618148 अवधि 16.3.09 से 31.03.09 में राशि 1400 रू. का गलत भुगतान दर्शाया गया है। अतः उक्त राशि ग्राम सचिव तथा सरपंच से वसूलनीय है तथा आपराधिक प्रकरण में मेट भी भागीदारी है।

iii) दायम खा निहाल खा कलर सरकारी कर्मचारी होते हुए भी मस्टररोल सं. 38184 अवधि 01.09.08 से 15.09.08 में रू. 1300 मजदूरी का फर्जी भुगतान उठना प्रमाणित होता है। ग्राम पंचायत नाचना द्वारा प्रस्तुत जवाब में फर्जी भुगतान उठना स्वीकार किया गया है। ग्राम सचिव तथा सरपंच से राशि रू. 1300 वसूलनीय है तथा सरकारी कर्मचारी की कार्य पर उपस्थिति अंकित करने के लिए संबंधित मेट आपराधिक प्रकरण में सह अपराधी है।

iv) बलवीर सिंह पुत्र श्री रोहित सिंह तथा उदयसिंह पुत्र श्री रोहित सिंह 51615954 दोनों भाई सरकारी सेवा में कार्यरत होते हुए भी इनका मस्टररोल सं. 59582 अवधि 01.01.08 से 15.01.08 में रू. 1898 तथा मस्टररोल सं. 60524 अवधि 16.01.08 से 31.01.08 में रू. 1698 कुल

मजदूरी रू. 3796 का फर्जी भुगतान उठाकर गबन किया जाना सिद्ध होता है। ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत जवाब में फर्जी भुगतान उठना स्वीकार किया गया है। इस राशि की वसूली ग्राम सचिव श्री मनोहरलाल सुथार तथा ग्राम पंचायत की सरपंच श्रीमती चांदकंवर से किया जाना अपेक्षित है। सरकारी कर्मचारियों की कार्य पर उपस्थिति अंकित करने के लिए संबंधित मेट आपराधिक प्रकरण में सह अभियुक्त है।

इस प्रकार मृतक व्यक्तियों एवं सरकारी कर्मचारियों के नाम मस्टररोल में सम्मिलित कर फर्जी भुगतान उठाया जाना एक आपराधिक कृत्य है, इसके लिए आपराधिक प्रकरण बनता है।

राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री चौथमल खत्री परिवार के सदस्यों के नरेगा योजना में कार्य करने के संबंध में ग्राम पंचायत रिकार्ड के अनुसार इनके नाम पर भुगतान उठाया गया है। ग्राम पंचायत के रिकार्ड के अनुसार इनके द्वारा कार्य किया गया है तथा भुगतान भी उठा है, लेकिन इसमें सम्भावना यह है कि इनकी फर्जी प्रविष्टियां करके भुगतान उठाया गया है, क्योंकि ग्राम पंचायत नाचना में श्रमिकों को नगद भुगतान किया गया है तथा भुगतान प्राप्ति पर श्रमिकों के नाम पर अंगूठा निशानी अंकित है तथा इतने प्रतिष्ठित परिवार के व्यक्तियों द्वारा मजदूरी करने की सम्भावना बहुत ही कम है। मस्टररोल में अंगूठा निशानी मस्टररोल में अंकित श्रमिक की है अथवा अन्य व्यक्तियों के फिंगर प्रिंट विशेषज्ञा के द्वारा ही पहचान की जा सकती है। प्रथम दृष्टतया फर्जी भुगतान उठना प्रतीत होता है।

ग्रामवासियों द्वारा जांच अवधि के दौरान ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उपस्थित होकर दर्ज करायी शिकायतों का विवरण **परिशिष्ट–स–2** पर उपलब्ध है।

सुनवायी के दौरान मुख्य रूप से दो प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुईं :–

1. नरेगा योजना में रोजगार उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।
2. कार्य नहीं करने के बावजूद सरपंच द्वारा जॉबकार्ड में फर्जी प्रविष्टियां करके उनके नाम पर भुगतान उठाया जाना।

शिकायतकर्ताओं को सुना गया। प्रथम प्रकार की शिकायत 2–3 व्यक्तियों द्वारा ही की गई, लेकिन उक्त शिकायतें पूरी तरह सही हैं, क्योंकि ग्राम पंचायत नाचना में वित्तीय वर्ष 2009–10 में कोई नया कार्य आरम्भ नहीं किया है, जबकि वित्तीय वर्ष 2009–10 में 9 महीने खत्म हो चुके हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार रोजगार की मांग करने वाले परिवारों को 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी दी गई है। इस ग्राम पंचायत में उक्त प्रावधान की पालना नहीं की जा रही है। वर्तमान में ग्राम पंचायत में गत वित्तीय वर्ष के दो अधूरे कार्यों पर मात्र 200 श्रमिक नियोजित हैं, जबकि ग्राम पंचायत में पंजीकृत जॉबकार्ड धारकों की संख्या 2132 है। मांग कर रहे श्रमिकों को शीघ्र रोजगार उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु ग्राम पंचायत के अधिकारी को मौके पर ही निर्देश दिये गये। वित्तीय वर्ष 2009–10 में कोई भी कार्य आरम्भ नहीं होने के प्रकरण पर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत करायी कार्य योजना तथा लेबर बजट का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। ग्राम पंचायत की सरपंच तथा ग्राम सचिव द्वारा पिछले वर्ष के कामों की अनावश्यक शिकायतबाजी से परेशान होकर कार्य आरम्भ नहीं किया जाना बताया। यहां पर यह उल्लेख करना भी समीचीन होगा कि ग्राम

पंचायत नाचना के 17 कार्यों से संबंधित रिकार्ड भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा जब्त किया जाना अवगत कराया है। इन 17 कार्यों की पत्रावली जांच दल को प्रस्तुत नहीं की गई।

दूसरे प्रकार की शिकायत जिसमें कार्य नहीं करने के बावजूद जॉबकार्ड में काल्पनिक प्रविष्टियां करके फर्जी भुगतान उठाने से संबंधित की गई। शिकायत में जॉब कार्ड सरपंच के पास रहने तथा उन जॉबकार्डों में उनके नाम के इन्द्राज कर भुगतान उठने, जबकि वास्तविक रूप से उनके द्वारा कार्य भी नहीं किया गया तथा मस्टररोल में भुगतान प्राप्ति के रूप में अंकित अंगूठा निशानी उनकी नहीं है। सुनवायी के दौरान यह तथ्य भी प्रकट हुआ है कि पढे लिखे व्यक्तियों द्वारा दर्ज शिकायतों से संबंधित मस्टररोल को निकलवाकर देखा गया तो उनके नाम से उठाये गये भुगतान की प्राप्ति पर अंगूठा निशानी अंकित है। जबकि भुगतान प्रक्रिया पूर्ण दर्शायी है।

शिकायतों के क्रम में मस्टररोलों के अवलोकन से सभी मस्टररोल में अंगूठा निशानी ही अंकित मिली। किसी भी मस्टररोल में भुगतान प्राप्ति के लिए एक भी हस्ताक्षर देखने को नहीं मिले, लेकिन यहां पर उल्लेखनीय है कि शिकायत दर्ज कराने के बाद अधिकांश शिकायतकर्ता या तो उसी दिन अथवा अगले दिनों में शिकायत वापस लेने हेतु व्यक्तिशः उपस्थित हुए। शिकायत वापस लेने के लिए किसी दबाव/ भय से साफ इन्कार करते हैं तथा शिकायत वापस लेने के कारणों में उनके परिवार के अन्य लोगों द्वारा कार्य करने तथा उनके द्वारा भुगतान जॉबकार्डस् को सरपंच के द्वारा रखने तथा गलत प्रविष्टि कर भुगतान उठाने की शिकायतों के संबंध में ग्राम सचिव श्रीमनोहर लाल सुथार तथा सरपंच/ सरपंच पति से चर्चा की गई तो उनके द्वारा अधिकांश शिकायतों को राजनीति से प्रेरित तथा झूठा बताया तथा कुछ जॉबकार्डस् में गलत प्रविष्टियों की बात स्वीकार करते हुए इसके निम्न कारण गिनाये गये :–

1. टांका/ डिग्गी निर्माण कार्य में श्रमिकों की व्यवस्था स्वयं वहीं व्यक्ति करता है, जिसके खेते में निर्माण कार्य होताा है। वह जॉबकार्ड एकत्र करके सरपंच को देता है तथा सरपंच द्वारा उन जॉब कार्डों की राशि का भुगतान उस व्यक्ति को कर दिया जाता है तथा उस व्यक्ति के द्वारा वास्तविक रूप से कार्य करने वाले व्यक्तियों को भुगतान कर दिया जाता है।

2. योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों में श्रम एवं सामग्री लागत अनुपात 60 : 40 सही नहीं बैठता है। सामग्री लागत अधिक आती है, जिसमें कारीगर की मजदूरी सम्मिलित है। सामग्री लागत अधिक होने के कारण मस्टररोल में श्रमिकों की गलत प्रविष्टियां करनी पडती है।

उपरोक्त कारणों को जैसलमेर जिले की भौगोलिक परिस्थितियों के विद्यमान रहते कुछ हद तक तो उचित ठहराया जा सकता है लेकिन जॉब कार्ड दुरूपयोग की जितनी संख्या में शिकायतें दर्ज हुई तथा जिस प्रकार नगद भुगतान प्रक्रिया अपनायी गई हैं उसको दृष्टिगत रखकर सभी जॉब कार्डस् का भौतिक सत्यापन करवाया जाना नितांत आवश्यक हो गया है। सभी जॉब कार्डस् पर फोटो लगवाना सुनिश्चित किया जावे तथा श्रमिकों के बैंक/ पोस्ट ऑफिस खाते खुलवाये जाकर उनको खातों के माध्यम से ही भुगतान किया जाने तथा जिस श्रमिक का जॉब कार्ड तथा मस्टररोल में नाम अंकित है उसको ही कार्य पर लगाया जावे तथा उसी व्यक्ति को भुगतान सुनिश्चित करने हेतु ग्राम पंचायत से पाबंद किया जाने हेतु जिला कार्यक्रम समन्वयक, जैसलमेर का ध्यान आकर्षित किया जाता है। उक्त कार्यवाही होने पर ही इस प्रकार की जॉब कार्ड दुरूपयोग की शिकायतों को रोका जा सकता है।

ग्राम पंचायत के माध्यम से संपादित होने वाले निर्माण कार्यों में सम्भावित अनियमितता रोकने हेतु सुझाव

ग्राम पंचायत नाचना के विकास कार्यों में पायी गम्भीर अनियमितताओं को दृष्टिगत रख निम्नलिखित सुझाव दिये जाते हैं :–

1. जांच में पायी गई अनियमितताओं को दृष्टिगत रख जांच दल की अनुशंषा है कि शेष कार्यों का शत प्रतिशत भौतिक सत्यापन कराकर वास्तविक नाप–जोख के आधार पर भुगतान किया जावे। खाला पट्टी कवरिंग एवं कच्ची साखों को पक्का करने के कार्यों का पूर्व में आई.जी.एन.पी. तथा बी.ए. डी.पी. योजना में किये गये कार्यों के संदर्भ में शत प्रतिशत सत्यापन करवाया जावे ताकि मौके पर कार्य नहीं होने तथा एक कार्य के दो बार भुगतान उठने की संभावनाओं को खत्म किया जा सके।
2. इस ग्राम पंचायत में टांका तथा डिग्गी निर्माण कार्यों को छोडकर किसी कार्य पर बोर्ड उपलब्ध नहीं मिला। अतः समस्त पक्के निर्माण कार्यस्थलों पर कार्य का नाम, योजना का नाम, व्यय राशि, निर्माण प्रारम्भ तथा पूर्ण होने की दिनांक आदि विवरण पत्थर पर खुदवाकर प्लास्टर में लगाया जाना चाहिए ताकि लोगों को यह जानकारी रहे कि यह कार्य किस योजना में कितनी राशि में तथा कब करवाया गया।
3. निरीक्षणकर्ता अधिकारियों यथा कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता, कार्यक्रम अधिकारी / विकास अधिकारी, अधिशाषी अभियंता, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद द्वारा निर्धारित मापदण्डों के कार्यों का निरीक्षण किये जाने अपेक्षित हैं। निरीक्षण के सबूत के लिए मस्टररोल में दिनांक अंकित करते हुए हस्ताक्षर किये जावे ताकि जानकारी हो सके कि उक्त कार्य का किस–किस अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया।
4. निर्माण कार्यों हेतु सामग्री क्रय निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित करके की जानी चाहिए। वाणिज्य कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत फर्मों की निविदा ही स्वीकार की जाना चाहिए। स्त्रोत पर करों की कटौती सुनिश्चित हो। सामग्री की दरें मेजरेबल यूनिट में ही अंकित की जानी चाहिए।
5. कार्य स्वीकृत करने से पूर्व निर्धारित प्रक्रियानुसार कार्य का लागत अनुमान तैयार करने, कार्य की ड्राईंग, प्रोजेक्ट रिपोर्ट जिसमें मौके की भौतिक स्थिति, तकनीकी रिपोर्ट (जिसमें कार्य कहां पर किया जाना है, पूर्व के कार्य की क्या स्थिति है, आदि विवरण उपलब्ध हो)। तकनीकी स्वीकृति जारी होने के बाद ही वित्तीय स्वीकृति जारी की जानी चाहिए।
6. निर्माण कार्य प्रगतिरत होने पर तकनीकी स्वीकृति जारी करने वाले तकनीकी अधिकारी को अनविार्य रूप से निरीक्षण करना चाहिए ताकि कार्य की गुणवत्ता तथा एम.बी. में दर्ज माप का सत्यापन हो सके।
7. जिला स्तर पर पदस्थापित परियोजना अधिकारी लेखा सहायक, लेखाधिकारी को आवश्यक रूप से ग्राम पंचायत द्वारा संधारित रिकार्ड, किये जा रहे भुगतान, क्रय प्रक्रिया, जारी राशि के उपयोगिता की जांच हेतु आवश्यक रूप

से प्रोग्राम जारी कर पाबन्द किया जावे ताकि समय रहते वित्तीय अनियमितताओं को रोका जा सके।

8. निर्माण कार्यों का मूल्यांकन निविदा में प्राप्त दर के आधार पर आपूर्ति की गई सामग्री के आधार पर किया जाना चाहिए। आपूर्ति की गई सामग्री की एफ.ओ.आर. कार्य स्थल पर होने के बावजूद बी.एस.आर. में अंकित लीड जोडना गम्भीर वित्तीय अनियमिताता है। ग्राम पंचायत नाचना में विशेष जांच में चिन्हित 10 कार्यों पर ही लगभग 8.70 लाख रूपये का लीड के रूप में अतिरिक्त मूल्यांकन किया गया है, जो कि राजकोष की हानि की श्रेणी में आता है।

9. सामग्री की आपूर्ति की गणना उस यूनिट में दिया जाना अपेक्षित है, जिस यूनिट में एम.बी. में माप दर्ज की जाती है। इसमें एम.बी. में दर्ज माप तथा वास्तविक रूप से आपूर्ति की गई सामग्री का मिलान आसानी से किया जा सकता है।

10. जिला स्तर से निर्माण कार्यों की जारी की जाने वाली तकनीकी तथा वित्तीय स्वीकृति सुस्पष्ट होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर :–

1. ग्राम पंचायत नाचना में ग्रेवल सडकों की जारी तकनीकी स्वीकृति में रोड की लम्बाई का भी उल्लेख नहीं है, जबकि रोड की लम्बाई तो सबसे महत्वपूर्ण Specification है।

2. जिला कार्यक्रम समन्वयक नरेगा के स्तर से जारी वित्तीय स्वीकृतियों देखने पर जानकारी होती है कि 20 कार्यों की एक साथ स्वीकृति जारी की गई है। उदाहरण 20 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/बीपीएल टांका निर्माण कार्य, इस प्रकार की अस्पष्ट स्वीकृतियां गम्भीर वित्तीय को न्यौता देती है।

3. 14–15 कच्ची खालों को पक्का करने की स्वीकृति एक साथ जारी की गई है, जिनमें दो कार्य स्थलों के बीच काफी दूरी है। पृथक–पृथक कार्यों की पृथक–पृथक स्वीकृति जारी किया जाना अपेक्षित है।

11. ग्राम पंचायत नाचना में दो–दो बैंकों के होते हुए भी श्रमिक/ सामग्री भुगतान नगद में करना, करोडों की सामग्री सीमित निविदा से करना, स्त्रोत पर कटौती नहीं करना, निविदा में सामग्री का एफओआर कार्यस्थल पर होने के बावजूद बी.एस.आर. में अंकित दर में परिवहन लीड का भुगतान कर लाखों रूपये का अनियमित भुगतान जैसी गम्भीर अनियमितताएं जिले की अन्य ग्राम पंचायतों में हो सकती हैं। अतः जिला स्तर से अन्य ग्राम पंचायतों में भी टेस्ट चैक करवाये जाने की अनुशंषा की जाती है।

12. इस ग्राम पंचायत द्वारा सामग्री मद पर लगभग 47 प्रतिश व्यय किया गया है तथा कुछ कार्य अधूरे भी बताये हैं। इस प्रकार श्रम : सामग्री अनुपात 60 : 40 में Maintain नहीं किया जा रहा है, जो कि योजना के प्रावधानों के विपरीत है। अन्य पंचायतों में भी इस बात का ध्यान रखा जावे।

उपसंहार

इस विशेष जांच प्रतिवेदन में ग्राम पंचायत नाचना द्वारा वर्ष 2007–08 से 30.11.09 तक मात्र सामग्री मद में राशि 16266710 रू. व्यय की गई है तथा सामग्री का नगद भुगतान किया गया है।

इस प्रतिवेदन में मृतक एवं सरकारी कर्मचारियों के नाम मस्टररोल में चलाकर फर्जी भुगतान राशि रू. 14296, सामग्री मद में चिन्हित 10 कार्यों पर वसूली राशि रू. 11.70 लाख तथा करों के रूप में राजस्व हानि टीडीएस रू. 3.64 लाख (वैट वसूली अतिरिक्त) को सम्मिलित करते हुए कुल वसूली राशि रू. 15.49 लाख (वैट वसूली अतिरिक्त) होती है।

उक्त विवरण अनुसार एक ग्राम पंचायत के चुनिन्दा कार्यों की जांच के उपरांत राशि रू. 15.49 लाख (वैट वसूली अतिरिक्त) वसूलनीय है। निर्माण कार्यों के भौतिक सत्यापन के अभाव के कारण इस प्रकार की अनियमितताएं एवं वसूलीयां अन्य ग्राम पंचायतों में भी हो सकती हैं। अतः इस प्रकार की विशेष जांच जिले की अन्य ग्राम पंचायतों में करवायी जावे तथा भविष्य में निर्माण कार्यों का शत प्रतिशत भौतिक सत्यापन करवाकर ही भुगतान की कार्यवाही अपेक्षित है।

राज्य स्तर/ जिला स्तर/ ब्लॉक स्तर के अधिकारियों द्वारा उनके लिए निर्धारित मापदण्डों के अनुसार नियमित अन्तराल पर निरीक्षण किये जाकर इस प्रकार की वित्तीय अनियमितताओं को कम करने तथा सार्वजनिक धन के व्यय में अधिक पारदर्शिता लायी जाने में मदद मिलेगी।

7.1.10	7.1.10	7.1.10
(प्रेमप्रकाश शर्मा)	**(नितिन शर्मा)**	**(श्रीनिवास मीना)**
सहायक लेखाधिकारी, ईजीएस	**सहायक अभियंता, ईजीएस**	**मुख्य लेखाधिकारी, ईजीएस**